साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 5 अंक 33 | प्रति सोमवार इंदौर, 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2012 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2/- रुपए

एशियाई राष्ट्र मिलकर अमेरिकी दादागिरी का विरोध करें

अमेरिका का ईरान पर आक्रमण का षड्यंत्र

भारत, बैंकाक, जार्जिया, में हमलों में अमेरिकी चालबाजियां

अमेरिकी धूर्तो ने ईरान और भारत के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक वाणिज्यिक संबंधो को बिगाड़ने के लिए आतंकवादी हमले कर ने में भारत की धरती का उपयोग किया।

इजरायली दूतावास की कार्यलयीन कार को आतंकवादी हमले में उड़ा कर अमेरिका ने तिहरी चाल चली।

अ. ईरान को बदनाम कर ईरान के तेल को हड़पने हमले करने का मंच तैयार करना।

ब. ईरान को आतंकवादी बताकर विश्व जनमत को अपने पक्ष में मोड़ना जो उसके प्रचार व षड्यंत्रों का हिस्सा है।

स. ईजरायल की कार उड़वाकर ईरान पर ईजरायल को हमले करने के उकसाना ताकि वो हमला करे और ईरानी सैन्य ताकत को उलझा कर स्वयं हमला कर आसानी से उस पर कब्जा कर सके।

जब ये सब बातें समय माया काम की साइट पर चढ़ाकर दुनिया को भेजी गई तीसरे दिन ही भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ईरान को क्लीन चिट देकर कह दिया कि ईरान का हमले में कोई हाथ नही है।

इसके विपरीत आश्चर्य इस बात का है कि कैसे और क्यों भारत सरकार ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी और इजरायली खुफिया एजेंसी जो दुनिया में सबसे ज्यादा कुख्यात है अपने कारनामों के लिए जिसे मोसाद के नाम से जाना जाता है। भारत में कैसे उतर कर छानबीन करने की छूट दी गई। क्या भारत की एजेंसिया इतनी नाकारा और निकम्मी हैं। जिन पर स्वयं भारत सरकार को भी विश्वास नहीं है। बेशक सच यही है कि वे सिर्फ हिन्दू संगठनो के कार्यकर्ताओं के परेशान करने उन्हें अकारण गिरफ्तार करने मारपीट कर उनसे मनचाहा उगलवाने झूठे प्रकरणों की साजिश रच कर केवल कांग्रेसियों के इशारे पर हिंन्दुओं और उनके संगठनों को परेशान करती हैं और दूसरी ओर असली आतंकवादियों को सरंक्षण देकर पालती पोसती हैं। जैसा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित,कमल चौहान के साथ अन्य अनेकों कार्यकर्ताओं के मामलों को दुनिया ने देखा जाना समझा इसलिये भारत के धूर्त सत्ताधीशों ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को इस बहाने खुली छूट मिल गई। .यह हमला करवाकर अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां इस बहाने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय जो इजरायली दूतावास से मात्र 300 मीं. की दूरी पर है चप्पे चप्पे और हर क्षण की जानकारियां उपलब्ध करेगी। शायद इसका अंदाजा भारत सरकार की दिल्ली पुलिस ,रॉ, सीबीआई एसआई तक को भी नहीं होगी। कि 300 मी. दूर बैठा ईजरायली दूतावास उनके वाई फाई तकनीक इंटरनेट लाइनों कंप्यूटरों पर भरी जानकारियों तक की निगरानी कर अनेकों अन्य जालसजियों को अंजाम दे रहा होगा। इससे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि आखिर 125 करोड़ के राष्ट्र को चालने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के पास दुनिया के इस घातक राष्ट्र को दूतावास खोलने और चलाने की इजाजत क्यों और कैसे दी गई। **(शेष पेज 5 पर)**

बहुराष्ट्रीय और रिलायंस का खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06

५ करोड़ बेरोजगार और ३६ करोड़ मरेंगे भूखे

भूखा मरेगा, नक्सलाइट बनेगा, अपराध करेगा, सबका जीवन बर्बाद करेगा

कांग्रेस के डकैतों ने बहुराष्ट्रीय और मुख्य रूप से रिलायंस के इशारे पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 में बनाया हुआ, 5 अगस्त 11 से लागू कर दिया। 31 मार्च 12 उसके अंतर्गत लायसेंस लेने की अंतिम तिथि है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लायसेंस लेना ही भारी मुश्किल है और येन-केन लायसेंस ले भी लिया तो अधि.06 की शर्तों का पालन करना और भी मुश्किल है। न लेना भी अपराध है। इस अधि.06 की स्थापना का उद्देश्य ही सारे खाद्य व्यवसायियों, उत्पादकों, विक्रेताओं को कानून की आड़ में समाप्त करना ही है। अर्थात छोटे-मोटे ठेले लगाने वालों से फुटपाथ पर सब्जी भाजी बेचने वालों से लेकर बड़े-बड़े मिष्ठान भंडारों, नमकीन, कचोड़ी, पकोड़ी बेचने वालों तक सबको, किराना, परचून आदि सभी दुकानों, होटलों, राष्ट्र में 1 करोड़ छोटे व्यवसायों पर तालों से 5 करोड़ बेरोजगार हो जायेंगे और उनसे जुड़े 25 करोड़ बच्चों से बुजुर्ग तक सब भूखों मरने की कगार पर आ जायेंगे। इन छोटे 1 करोड़ से ज्यादा व्यवसायीयों के बंद होने से 36 करोड़ लोग जो चायपत्ती से लेकर छोटे-छोटे घर परिवारों की आवश्यक रोजमर्रा की खाद्य सामग्री खरीदते थे वे सब भी अपनी रोजमर्रा की भोजन सामग्री नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें सारी खाद्य सामग्री पैकिंग में ही खरीदनी पड़ेगी जो विक्रेताओं पेकर्स, उत्पादक की मनमानी कीमतों पर वह भी आधा किलो से 5 कि.ग्रा. के पैक में, पैकिंग में शुद्ध मिलावटी भी होगा तो भी उपभोक्ता कुछ नहीं कर सकेगा, उसे बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा और खोलने के बाद उसकी कानूनी बाध्यताएं समाप्त हो जायेंगी, दूसरी तरफ जो गरीब जिसके दो बच्चे, बीबी का परिवार है रु. 100 कमा कर 1 किलो आटा, 100 ग्राम दाल, 50 ग्राम तेल, 10 रु. के मसाले खरीदकर झोपड़ी में या सड़क पर या मैदान में बना खाकर सो जाता है। ज्यादा सामग्री खरीदने के न तो पैसे है, न रखने की व्यवस्था, उसके लिये तो सब खरीदना मुश्किल होगा, न खरीद पाने की अवस्था में भूखा सोएगा। केन्द्र में बैठे जालसाज हर दिन नई चालें और नई परिभाषायें गढ़ने के आदि हैं। हाल ही में संसद में गरीबी की नई परिभाषा दी गई जिसमें शहर में रहने वाले की दैनिक भूख के लिये जो पूर्व में साढ़े बत्तीस रु. थी उसे घटाकर रु. 28 और ग्रामीणों के लिये रु. 22 जीवन यापन के लिये पर्याप्त माना गया है। जबकि इन संसद में और मंत्रालयों के एसी कमरों में बैठने वालों के लिए रु. 28 में दिन भर का पीने का पानी भी नहीं पुरता, शीतल मिनरल वाटर की 800 एम.एल. की बोतल रु. 15 की मिलती है। इन हरामखोर जालसाजों के लिये दिन भर में 5 बोतल पानी भी लगा तो रु. 75 का पानी ही पी जाते हैं। उसके एक तिहाई खर्च में एक गरीब को परिवार पालना है। फिर जब सारा व्यवसाय इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में आ जायेगा तो 1 कि.ग्रा. आटे की कीमत ही रु. 35 से 40 होगी फिर गरीब कैसे दो वक्त दाल रोटी खा पायेगा,

(शेष पेज 6 पर)

पदोन्नतियों मे आरक्षण के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

मप्र शासन 06 से चुप, सामान्य वर्ग कर्मियों को नहीं दे रहा हक

पदोन्नतियों मे वरिष्ठता ही चलेगी, आरक्षण का लाभ नहीं, सामान्य वर्ग को शीघ्र करो पदोन्नत

सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नतियों मे आरक्षण के विरुद्ध 1993 में ही इंदिरा साहनी विरुद्ध भारतीय गणराज्य के प्रकरण ए आई आर 1993 सा न्या प्रकरण 477 से ही देना शुरू कर दिये थे इसके विपरीत मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विग्विजय सिंह मप्र मे नई पदोन्नति नीति बनाकर आरक्षित वर्ग को पदोन्नत कर हर विभाग मे कनिष्ठों का पदोन्नत कर भले ही वोटों की राजनीतिक की हो इसके बाद भी 2004 का चुनाव हार गयाः 10 वर्ष जालसाज ने हर तरफ तबाही मचाई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागराज वि. भारत गणराज्य के फैसले में स्पष्ट कर दिया कि शासन आरक्षित वर्ग को पदोन्नति देने के लिए बाध्य नहीं है। यह फैसला सन 2006 मे आने के बाद भी अभी तक प्रदेश सरकार के भ्रष्ट धूर्तो ने कोई कार्यवाही नहीं की और धड़ल्ले से समान्य वर्ग की वरिष्ठता को नजर अंदाज कर कनिष्ठों को वरिष्ठों से दो पदों तक ऊपर पहुंचा दिया जबकि उनसे वरिष्ठ जिस पद पर नियुक्त हुए थे 25-35 वर्ष की सेवा के बाद भी उनसे 10-20 वर्ष बाद नियुक्त हुए दो से तीन पदोन्नतियां पाकर उन पर हुकुम चलाने और उनको सरेआम गालियों से विभूषित करते थे।

अपने भ्रष्टाचार से वसूली और वोटों की राजनीति के चलते वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री धूर्त दिग्गी ने मध्यप्रदेश में वोटो के लिए दलित एजेंडा चलाया था। जिसके अंतर्गत मप्र सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2002 जारी किए गए। इन नियमों के अनुसार वर्ष 1975 से प्रदेश मे लागू आरक्षण नियमों को निरस्त कर दिया गया तथा तब से ही रोस्टर लागू कर अनु जाति जनजाति कर्मचारियों को क्रमशः 16 एवं 20 प्रतिशत (कुल 36 प्रतिशत) आरक्षण लागू किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व (वर्ष 2000) से प्रदेश में अनु जाति जनजाति की जनसंख्या 15 व 18 प्रतीशत थी जो कि बड़ा आदिवासी क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाने के उपरांत केवल 13 एवं 17 प्रतिशत रह गयी है। जैसा कि वर्ष 2011 के जनसंख्या आंकड़ो से स्पष्ट है। वर्ष 2002 में जारी दलित एजेंडा के अनुसार आरक्षण का प्रतीशत तो 16+20= 36 ही रखा गया। किन्तु उसमे वर्ष 1975 से बैकलाग की गणना से तब से रिक्त रहे पदों को पृथक से पदोन्नत करने का परिपत्र जोड़कर पदोन्नति का मौजूदा प्रतिशत 50 से 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। यही नहीं अनु जाति व जनजाति कर्मचारियों को हर स्तर पर हर बार पदोन्नति का लाभ दिया गया। इसके कारण जो कर्मचारी/अधिकारी वर्ष 1990 से सीधे भर्ती हुए थे वे भी दो दो पदोन्नतियां प्राप्त कर अपने उन अधिकारियों से भी वरिष्ठ हो गए जो कि वर्ष 1979 से 1986 के बीच सीधी भर्ती से नियुक्त होने के कारण उनसे वरिष्ठ रहे थे। यहां तक कि पूरे भारत में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में वर्ष 2002 में प्रथम श्रेणी पदों पर भी

(शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

वर्तमान नेतृत्व असुरत्व, दानत्व

वर्तमान में लोकतांत्रिक नेतृत्व जो विश्व की श्रेष्ठतम प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती है। भारतीय धर्मग्रंथों में कंस, रावण जैसे धूर्त असुर, दानवों के पात्रों की पुनरावृत्ति को जीवंत करती हुई प्रतीत होती है।

विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। जिन्हें राष्ट्र के प्रशासकीय व्यवस्थाओं को चलाने के लिये, जनता से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाने और राष्ट्र की प्रशासकीय व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती हैं, जिनका एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित होता है, इसके बाद पुनः जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने और उसे शासन के संचालन हेतु अवसर मिलता है, जिनका कर्त्तव्य होता है कि वे जनता के भविष्य को समृद्ध, सुखद बनायेंगे, इसके विपरीत ये सारे जनप्रतिनिधि सत्ता में आते ही मौका पाते ही, अपने और अपने परिवार और निकट सहयोगियों के व्यक्तिगत भविष्य को सुखद और समृद्ध बनाने में, जनता को नोंचने और खाने में जुट जाते हैं। इसके लिये हर कदम छल-कपट और धूर्तता का परिचय देकर भी सार्वजनिक मंचों पर ये नेता भारी मासूम बन अपने दुष्कृत्यों को भी सुकृत्य बताकर प्रस्तुत कर लोक को भ्रमित कर दोनों हाथों से धन उलीचने में लगे रहते हैं।

वर्तमान में यथार्थ में लोकतंत्र, राजतंत्र से बदतर हो चुका है, राजतंत्र में राजा ही जनता को शोषित कर अपना ऐशो आराम का ख्याल रखता था इसके विपरीत राजा का कोष ही जनता का कोष भंडार होता था, उसका या उसके परिवार के कोई व्यक्तिगत कोष भंडार नहीं होते थे, वर्तमान में राजतंत्र भले ही लोकतांत्रिक नेताओं क कोष भंडार नहीं होते, इसके विपरीत शासकीय जन-धन के कोषको भी ये अपनी बपौती मानकर अपने अर्थार्जन हेतु जन-धन का आवंटन जन कल्याणकारी कार्यों के नाम पर इस तरह से करते हैं, कि कम से कम 10-20 तक धन इनके पास इनके व्यक्तिगत उपयोग के लिये प्राप्त हो सके, दूसरी ओर जिनका कार्य राजस्व संग्रहण करना होता है, वे राजकोष में धन आये न आये बीच में ही करदाताओं को छूट देकर बीच में ही लूट कर अपना कोष भरते हैं। अर्थात जिन्हें जनता नेतृत्व सौंपती है। वे नेतृत्व का अधिकार पाते ही उनमें असुरता की प्रवृत्ति जाग्रत हो उठती है और दानव प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जिन्हें लोकतंत्र में सत्ता सूत्र दिये तो जनकल्याण के नाम पर स्वकल्याण में लीन होकर अपनी प्रतिमायें चौराहे-चौराहे पर लगवाकर भी संतुष्ट नहीं होता, एकत्रित धन जनता की दृष्टि का शिकार होकर उनकी असुरल प्रवृत्ति के बारे में न जान सके इसलिये जनता से करारोपण में बटोरे गये धन को शत्रु राष्ट्रों के कोषालयों में प्रक्षेपित करने से भी नहीं चूकेगें। वह भी थोड़ा बहुत नहीं, विश्व भर के अधिकांश राष्ट्रों में इन असुरों का धन लगभग 300 लाख करोड़ से ज्यादा भेजा गया, अर्थात इन्होंने इतिहास के उन असुरों और दानवों को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वे धन कम से कम अपने राज्यों में और राजकोष में ही रखते थे, पर ये तो जन-धन को लूटकर विदेशों में भी निशेपित कर देते हैं।

हाल ही में आये उ.प्र. के चुनावों में सपा को जीत क्या मिली या जनता ने उन्हें बहुमत क्या दिया अपने असुरल का प्रदर्शन करते हुए सपा नेताओं ने उ.प्र. में अनेकों स्थानों पर लूट, तोड़फोड़, आगजनी का नग्न प्रदर्शन कर वे सभी नेता मानव से दानत्व का प्रस्तुतीकरण सत्ता संभालने से पहले ही कर दिया, सपा का इतिहास रहा है कि ये सत्ता में आने के बाद पूरे उप्र में सपा नेता असुरों की भांति आम जनता से गुंडागर्दी करते हुए भारी वसूली करते रहते हैं।

म.प्र. को ही ले मुख्यमंत्री शिव के भाजपाई गण मंत्रियों का इतिहास और वर्तमान सामने हैं। सब ही जन-धन के शोषण से अपना धन एकत्रित कर असुरों की भांति स्वकल्याण में लगे हैं। अर्थात नेतृत्व पाते ही असुरत्व जाग उठता है नेता मानव से दानव बन जाते हैं। यह हाल प्रदेशों में नेतृत्व कर सत्ताधीश पुरुषों का ही नहीं वरन महिलाओं का भी रहा है। चाहे वो मायावती रही हों, जयललिता हों, मानव से दानव बने पुरुषों से ज्यादा घातक यह लाकांक्षिणी होने के साथ उनसे ज्यादा घातक सिद्ध हुई। मायावती ने जीते जी अपनी हर चौराहे पर मूर्तियां लगवाई तो जयललिता के पास 6000 से ज्यादा पैरों में पहनने वाले जूते, चप्पल, सेंडिल थे जो जनधन के ही थे, ऐसा विश्व के इतिहास में पुरुषों ने भी नहीं किया।

डाऊ ही नहीं, हर बहुराष्ट्रीय कं. जासूसी करवाती है

मंत्रालय भी चंगुल में है बहुराष्ट्रीय कं. के

95% अधिकारी पूरे देश में नाचते हैं, पूंजीपतियों के इशारे पर

केन्द्र और सभी राज्यों की सरकारों में बैठे अधिकांश आई.ए.एस. अधिकारी चाहे भारत की टाटा, बिरला, अंबानी हो से लेकर न केवल डाऊ, कोका-कोला, पेप्सी, आई.पी.सी. हिन्दुस्तान लीवर से लेकर सभी देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हजारों करोड़ की कंपनियों के एजेन्ट के रूप में न केवल कार्य करते हैं। वरन इन कंपनियों के हितों की सुरक्षा के लिये महीना वसूली भी करते हैं। पिछले 40 वर्षों का इतिहास उठा के देखें तो मालूम पड़ता है, न केवल टाटा, अंबानी, बिरला, भारती जैसे बिग शाट मारने वालों ने या उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, 11% बड़े कालोनाइजरों ने जो न केवल देशी थे हर मंत्रालय में अपनी पकड़ बना रखी है, न केवल केंद्रीय मंत्रालयों वरन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सभी मंत्रालयों में इनकी घुसपैठ बनी हुई है। इसके साथ ही विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. चाहे उनमें औषधियों, कृषि, जैनेटिक मोडीफाइड (जीएम), बीटी, हायब्रिड बीजों की बहुराष्ट्रीय कं. जैसे कारगिल आदि, जैसे मंत्रालयों से चलकर सबसे संवेदनशील रक्षा मंत्रालय तक अमेरिकी, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, स्वीडिश, इजरायली कं. की न केवल पहुंच है वरन वे अपना माल खपाती रहती है। जिसके बारे में पिछले 40 वर्षों से राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक के दलाली कांड में वर्षों से नाम चलते आ रहे हैं।

इनकी पहुंच का सबसे नायब नमूना पूरे देश ने भोपाल गैस कांड के समय देखा गया और उसके बाद भोपाल जिला न्यायालय में भी देखा जहां शास. दस्तावेजों में 2000 लोगों की मौत, शास. अधिकारियों द्वारा 20000 लोगों की मौत, वास्तविकता में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और 2 लाख से ज्यादा जहरीली गैस के रिसन से विभिन्न बीमारियों के शिकार का मुकदमा डाऊ केमिकल्स और उसके मालिक व तत्काल में रहे प्लांट प्रबंधक व अन्य 4 लोगों पर कुल 6 लोगों पर साढ़े 26 वर्ष चलाया गया और सजा मात्र 2 वर्ष की दी गई और उसके विरुद्ध भी अपील उच्च न्यायालय में करने का मौका भी दिया गया, इस बीच सभी प्रधानमंत्रियों, म.प्र. के मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों और सभी अधिकारियों जो उस मंत्रालय से संबंधित थे सबने न केवल धन बटोरा और धन की बंदरबांट कर उसे बचाने की कोशिशें जारी रहीं। तो किस दम पर जासूसी और घुसपैठ के दम पर ही।

नंगे, भूखों, घोर स्वार्थियों के राष्ट्र में सब कुछ बिकाऊ है, बस केवल खरीददार चाहिये, हमारी सहस्त्रों वर्षों की गुलामी इस बात की ऐतिहासिक गवाह है। कैसे हम हमारे सत्ताधीश 60 वर्ष में सुधर जायेंगे जिसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी है। यहां तो अमेरिका से फोन आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय को कि हमारे यहां दवाइयों का स्टॉफ समय बाधित होने वाला है, तो पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी फैलानी है और क्या मिलेगा, सौदा तय होते ही एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस के कीटाणु मिडिया पर छा जाते हैं और सामान्य या अन्य प्रकार की बीमारियों से हुई मौतों को उससे जोड़कर दहशत फैला दी जाती है, और अरबों करोड़ की दवाईयां राष्ट्र की जनता से वसूले गये करों के धन से खरीद ली जाती है। जिनकी खेप आते-आते बीमारी का तूफान ठंडा हो जाता है। सिर पर आई औषधियों के खेप की बीमारी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों से होती हुई जिला अस्पतालों में पहुंचाकर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। ये है केवल 25 से 50 % कमीशन में अरबों करोड़ रु. का खेल।

इस राष्ट्र को चलाने वाले इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी अपने छोटे-छोटे से स्वार्थों की खातिर मान मर्यादा, इज्जत, कानून सब बला-ए-ताक पर रखकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। इसका एक छोटा उदाहरण से समझा जा सकता है सन् 2005-06-07 में यहां एक जिलाधीश पद पर विवेक अग्रवाल विराजित थे, जब भी इनके रिश्तेदार इंदौर आते थे, उन्हें ये हरामखोर मुफ्त में यहां सयाजी होटल में ठहराया जाता था, स्वाभाविक था इसका सदुपयोग होटल मालिक साजिद धनानी ने किया जब 31 दिस. की रात यहां कुछ विदेशी बालाओं द्वारा अश्लील नृत्यों के आयोजन के विरोध में बजरंग दल जैसे संगठनों ने प्रदर्शन किया, तब उन्हें रोकने के लिये स्वयं विवेक अग्रवाल घोड़े पर बैठकर अपनी बहादुरी दिखाते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों के इस बदतमीज ने लठ्ट से सिर फोड़ दिये थे, इंदौर के इस जाने-माने तीन सितारा होटल को चूंकि अधिकांश मंत्री-संत्री यहां रुकते हैं। सबसे ज्यादा महंगे इस होटल का लक्जरी टैक्स से भी मुक्ति दे दी गई, इसी होटल से एक व्यवसायी की कार चोरी जिसमें काश्मीरी आतंकवादी का हाथ था, उसे बिना पुलिस को बताये इस होटल में नौकरी दी गई, फिर वह कार उससे जाकर आगरा में पकड़ी गई, परन्तु हमारे नेताओं, अधिकारियों के चलते उस मामले को रफा-दफा कर दिया गया, जबकि म.प्र. में भाजपा का शासन है, जो अपने आप को बड़ा राष्ट्र भक्त और हिन्दुवादी होने का ढोंग करते हैं।

ये हैं हमारे राष्ट्र को चलाने इंडियन एक्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों का घिनौना इतिहास,पूरी दुनिया जानती है कि भारत में घोर भ्रष्टों व स्वार्थियों का सत्ता पर कब्जा हैं, इसलिये हर विदेशी कंपनी अपने देश में पैर पसारती है। यहां पेप्सी कोला, कोका-कोला जैसी कंपनियां शीतल पेय के नाम पर न केवल जहर बेचती है। कोई इक्का-दुक्का करोड़ों में से इसका नमूना लेकर हल्ला मचा देता है, तो ये बड़ी कंपनियां न केवल सांसदों को खरीदकर कानून में ही संशोधन करवा देती है वरन पूरा कानून समाप्त कर नया कानून ही बनवा लेती है। जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06, ताकि पूरे बाजार पर ये कब्जा कर इनसे होड़ करने वालों, इनके व्यवसाय को क्षति पहुंचाने वालों को ही समाप्त कर 5 करोड़ को बेरोजगार और 30 करोड़ को भूखा मारने पर उतर आती है। न केवल प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्र के स्वास्थ्य, खाद्य मंत्रालय से लेकर विपक्ष के सारे सांसद बिक जाते हैं। चाहे वो शुद्ध भाजपाई ही क्यों न थे, कानून लागू कर दिया जाता है। शूकरों की फौज को 5 करोड़ की बेरोजगारी और 30 करोड़ लोगों की भूख से मतलब नहीं होगा।

जासूसी मीडिया नियंत्रण, प्रचार और दुष्प्रचार, सरकार मंत्रियों, संत्रियों और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों से पकड़, उनकी आदतों और शौक, संसद, राज्यसभा और प्रादेशिक विधानसभाओं में घुसपैठ, खास मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों से संबंध रखना, उनके शौक आदतों के साथ कमजोरियों की फेहरिस्त रखना, सुरा-सुंदरियों और धन पाकर बिकने वालों को सहेजना उनसे या उनके माध्यमों से अपने देश, देश की कंपनियों उनके व्यापार, व्यवसाय, अपने राष्ट्र के नागरिकों, उनकी सुख-सुविधाओं का ख्याल रखने का कार्य ही करते हैं सारे भारत में स्थित विदेशी दूतावास अधिकांश विदेशी दूतावास, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, स्वीट्जरलैंड, स्वीडिश, इजरायल, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के 3 से 10 कि.मी. के फांसले पर ही हैं।

स्वाभाविक है सभी दूतावास अपने हितों के साधन में भारत के घोर भ्रष्ट, घोर स्वार्थी प्रधानमंत्री, मंत्रियों, मुख्य प्रधान सचिवों, सचिवों से लेकर नीचे तक उनके शोक, आवश्यकताओं और पसंद का ख्याल रखते हुए राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग कर रहे है। जिसके समाचार आये दिन पिछले 40-50 वर्षों से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। उससे आगे जाकर हमने राष्ट्रहित और जनता के भविष्य को ध्यान में रखकर वास्तविकता और गहराई को प्रगट कर दिया है।

समलैंगिकता न प्राकृतिक,...

पेज 8 का शेष

शादीशुदाओं मे समलैंगिकता संबंधो के विकसित होने के पीछे साथी द्वारा यौनाचार के लिये परेशान करना साथी का पुरुष होना झगड़ालू शंकालू या नीचा दिखाने का प्रवृत्ति होना स्त्री पुरूष को समलैंगिता की ओर धकेलती है। यौनाचार में शीतलता नपुशकता आसंतुष्टि भी दूसरे साथी को अपने मित्रों सहेलियों रिश्तेदारों से समलैंगिकता संबंध बनाने को अग्रसर करता है। इसका एक यथार्थ यह भी है कि प्रसार माध्यमों पर निरंतर स्वच्छंद यौनाचार के खुले तामशे ने स्त्रियों मे यौनाचार को आक्रमाक बना दिया है।

जब स्त्रियों के दो या ज्यादा पुरुषों से बहुविधि यौनाचार से भी संतुष्टि नही मिलती या उत्कृष्ट होने लगती है तो फिर सहेलियां रिश्तेदार महिलाओं में अप्राकृतिक अंतरंग उत्कंठाओं की संतुष्टि के लिए समलैंगिकता का रसपान शुरू कर देती हैं। बेशक ये सब दीर्घकालीन या सार्थक भविष्य नहीं होने से स्थायी नहीं हो सकते; क्योंकि स्त्री होने की सार्थकता उसके मां बनन बच्चों को जन्म देने और अपनी कोख से जन्में बच्चे के मुंह से मां शब्द सुनने के अहसास से पूर्ण होती है। वैसे पुरुषों के कठोर स्वभाव और शरीर और मन को दूसरा कठोर स्वभाव शरीर और मन कब तक लुभा सकता है। उसे भी नम आने और तन मन ही बांध सकता है।

फिर पुरुष होने की सार्थकता का अहसास उसके पिता बनने अपने बच्चे को गोदी मे खिलाने और उसे पिता कहलाने पुकारने पर ही सार्थक होता है। जो कि स्त्री पुरुषों के समलैंगिक संबंध मे कदापि नहीं हो सकता। अस्तु न्यायालय शासन को मात्र समलैंगिकता को आप राधिकता की श्रेणी से अवश्य बाहर कर देना चाहिए दीर्घका मे कोई भी कितना भी आधुनिक हो या गंवार इन संबंधो को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा न बढ़ावा देगा, ना ही ये संबंध भविष्य मूलक होंगे। तात्कालिक तूफान है जो शांत हो जाएगा।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण के धन से ठेकेदारों, यंत्रियों-मंत्रियों के बैंक खातों की सिंचाई

समय विस्तार के नाम पर मची है लूट

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर बचाने के लिये भा.द. स. के नियम विरुद्ध दलीलें

म.प्र. में नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधो और उनकी नहरों में पानी भले ही बहे न बहे परन्तु मुख्य मंत्रियों या मंत्रियों से लेकर संचिवों अध्यक्षों प्राधिकरण के सदस्यों मुख्य अभियंताओं अधीक्षण यंत्रियों कार्यपालन यंत्रियों सहायक यंत्रियों और उपयंत्रियों के बैंक बैलेंस से पिछले 3 वर्षो से लगातार भ्रष्टाचार का धन उफन रहा है। निचली नर्मदा परियोजना और इंदिरा सागर में नहरों में पिछले बीस वर्षो से लगातार चल रहे और हुये लाखों करोड़ के कार्यो में अरबों रुपये कागजों पर ही पी लिया गया। जिसकी कानों कान खबर भी इन मुख्यमंत्रियों जिसमें अर्जुन सिंह से लेकर सुंदरलाल पटवा दिग्गी दानव उमा भारती बाबूलाल गौर से शिवराज सिंह चौहान तक सब शामिल हैं। वही हाल न घा वि मंत्री से लेकर सचिव अध्यक्ष सदस्यों के साथ ही पुर्नवास वन विकास विद्युत यांत्रिकीय तक के आयुक्तों से लेकर मुख्य अभियंताओं कार्यपालन अधिक्षण सहायक उपयंत्रियों तक व विभागों के बाबू बड़े बाबुओं कार्यअधीक्षकों न दोनों हाथों से धन न केवल उलीचा वरन अधिकांश भ्रष्ठ ठेकेदारों की कठपुतलियां बन नाचते रहे।

पूरे विभाग में भ्रष्ट और जालसाजों ठेकेदारों का ऐसा जलवा है कि उनके इशारे पर ही न केवल भ्रष्ट नकारा निहायत ढीले जालसाज उपयंत्रियों सहायक यंत्रियों कार्यपालन यंत्रियों अधीक्षण यंत्रियों मुख्य अभियंताओं तक की पदस्थपनाओं की जाती है जिन हरामखोरों को न केवल काम करवाने का ज्ञान तो दूर ठेकेदार द्वारा किये गए कार्य का नाप लेना और नाप पुस्तिका तक भरनी नहीं आती, इसका सीधा सा उदाहण है निचली नर्मदा का संभाग क्र 32 पिछले 10 वर्ष की एमबी उठाकर देखा जाये तो ये सारे ठोस सत्य साक्ष्य होंगे ये हाल ऊपरी नर्मदा परियोजना से लेकर प्रदेश के छोर पर बैठे मुख्यअभियंता नर्मदा परियोजना घाटी इंदिरा सागर नहरों तक हर संभाग सहायक यंत्रियों के उपखंडो तक हर जगह है। तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार यंत्री सहायक यंत्री कार्य अभियंता फंस जाये तो उस उठाकर बाहर स्थानांतरिक करवाने मे महीने दो महीने का समय भी नहीं लगता है इसका एक सत्य यह भी है कि इस नर्मदा घाटी के मूल विभाग म.प्र. सलसंसाधन विभाग से ये सारे अभियंता पैसा खर्च करके आते ही धर्म का 10 गुना करने के लिये है। इसीलिये इस नर्मदा घाटी मे सारे काम गुणवत्ता की तो दूर मैनुअल से स्तर से 25-50 % तक की मतों का नही हो पाते हैं। जब कि डीपीआर में 25 से 40 % तक की मतों का आंकलन कर ही बनाये जाते हैं। वास्तविकता मे कार्य के बल का मचलाऊ औपचारिकताओं को परा कर कागजों पर ही नक्शों से लेकर बिल तक पूर्ण जालसाजी से ही किये जाते हैं। केन्द्रीय जल आयोग के स्वीकृत नक्शों मे फिरबदल और स्तरहीन कार्यो को संपन्न करने की स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री होती है। इन हरामखोरों और जालसाजों का 40-80% तक की लूट करने के बाद भी इनका दिल नहीं भरता इसके लिए ये ठेकेदारों को समय वृद्धि और उस पर महंगाई का

लाभ दिलवाने के लिये भू अधिग्रहण विलंब आंदोलन चक्का जाम न्यायालय मे प्रकरण आदि वृत्तों का सहारा दिलवाकर मूल्य वृद्धि मे भी 40-60% की हिस्से दारी करते हैं। जबकि उस पर 0.25% से लेकर 6.5% का दंड देने से लेकर जोखिम और लागत के आधार अनुबंध भंग करने की क्षमता रखते हैं। इन सारी जालसाजियों के चलते भारतीय दंड संहिता की 5से 8 धाराओं पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ताकि ठेकेदार के साथ ही कार्य करवाने वाली एजेंसियों सरकारी विभागोंन को भी दंडित कर कार्यो के प्रति ठेकेदारों और अधिकारियों की निष्ठा बनी रहे।

नर्मदा घाटी की भ्रष्टचार विकास प्राधिकरण उससे जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कार्य करने वाले ठेकेदारों से लेकर सचिवों मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिये भ्रष्टाचार से धनार्जन की दुधारू गाय बन गया है। जो 30-40 वर्षो से लगातार धन वर्षा कर रहा है। उन विस्थापितों से असली व्यथा पूछिये जिनकी जमीने मकान संपत्तियां इन बाधों और नहरों की भेंट चढ़ गयीहै। जो सदियों से उस डूब की भूमि पर जीवंन यापन कर रहे थे। जबकि उन्हें वास्तविक लाभ मिलना था वो अभी भी दिवास्वपन् की भांति घटते जीवन और दूर होती आकांक्षायें हो गया है। पर इनसे इन धूर्त ठेकेदारों मंत्रियों अधिकारियों संत्रियों की सेहत पर कोई असर नही पड़ता उन्हें तो छल कपट और भ्रष्टाचार से धनार्जन पर गिद्ध दृष्टि लगी रहती है।

कार्यपालन यंत्रियों अधीक्षण यंत्रियों और मुख्यअभियंताओं ने बंदर बांट की इसे लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो क्यों नहीं पकड़ता दूसरी और टर्न की प्रोजेक्ट के नाम पर दायी और बांयी तट नहरों का ठेका जिसमें सर्वे नियोजन मानचित्र प्राक्कलन भूअधिग्रहण प्रकरणों का बनाना नहरों का खुदाई कार्य सीमेंट कांक्रीट लाइनिग सभी प्रकार आंतरिक संरचना व्हीआरबी डीआरव्ही एनएचव्ही एसएचव्ही रेग्युलेटर्स बचाव बहाव जल बहाव और नहर प्रणाली की स्थापना आदि के कार्योङ को रुपये 178 करोड़ में 30/11/08 को पूरा किया जाना था। जिसका ठेका सोमदत्त विह्सलरी प्रा. लि. नई दिल्ली जिसका केंप कार्यालय खेड़ीघाट बड़वाह जहां अधीक्षण यंत्री कार्यालय के ही एक हिस्से में लग रहा है। को अनुबंध क्र. 1-06-07 का 03.05.06 को दिया गया था जिसको क्षेत्रीय स्तर पर पूर्ण का एतिहासिक महाजालसाज ठेकेदार कर्ण सिंह संभाल और कार्य कर रहा है। सन् 30-11-08 से विभिन्न बहानों कहानियों और कारणों से लगाकर समय वृद्धियां क्र. 403832/जी/ओ.सा.प/फे-1/08-09/ 4528 इंदौर दि. 10-07-09 से 21-12-09 तक की फिर पत्रक के 1/08-09/1311 से दि. 27/03/2010 फिर वन भूमि पर स्थगन आदेश 01/07/09 से 25/2/10 तक के कारण विलंब से फिर 31/12/10 से सं क्र. 08और 32 के माध्यम से स्वीकृत फिर 406799 जी/ओ एस पी फेस-2 /10/5422 दि. 30/12/10 से 30/6/12 तक की सोमदत्त विहर्स प्रा. लि. और में करण डेव्हल पमेट सर्विसस नई दिल्ली को समय विस्तार कारणों को गिनवा कर दे दिया गया। स्वाभाविक है कि मूल्य वृद्धि भी दी गई। और रुपये 212 करोड़ तक कीमत पहंच गई। इसम संभाग क्रं 8 और 32 की भ्रष्ट मानसिकता से ठेकेदार को लाभ पहुचाकर उपयंत्रियों से लेकर सहायंत्रियों कार्यपालन यंत्रियों अधीक्षण यंत्रियों ने दोनों हाथों से बंदरबांट की 2 वर्ष की कार्य 6 वर्ष बाद भी अधूर है। द्वितीय चरण (आर डी 9.775 किमी. से 68.92 किमी) कार्य की हलाहकार सेवाओं के लिए मंडलरेश्वर सं. क्र. 20 के माध्यम सनग्रेस इंजि.प्रा लि. पुने को भी 27/09/2010 से 31/12/11 तक का समय विस्तार देकर परस्पर लाभांवित हुये ठेकेदार और अधिकारी भी पत्र मे स्पष्ट है कि इसमें परिस्थितिवश विलंब हुआ ठेकदार और विभाग कोई भी जिम्मेदारी नहीं

इसी ओंकारेश्वर नहर के तृतीय चरण में 68.92 किमी. से 162.95 अर्थात 94 कि.मी. लंबी नहर को तृतीय चरण में 68.92 किमी से 162 .95 अर्थात 94 किमी नहर जो मनावर के अधीन है। साधव इंजी. लि. अहमदाबाद को अनुबंध क्र 14/ डीएल/ 07-08 दिनांक 28.02.2008 से अनुबंध किया गया जबकि प्रथम और द्वितीय चरण की दायी बायी नहरका उस समय तक 40% कार्य भी नहीं किया गया था फिर भी पैसा हजम करने की नीयत से .ये अनुबंध किया गया। फिर इसे भी 406803/ जी/ ओएसपी फेस-3 107-08/ 1785 इंदौर दिनांक 28/03/11 से 30/06/12 तक समय विस्तार का लाभ देकर महंगाई और मूल्य वृद्धि मे करोड़ों रुपये की बंदरबांट सब करेंगे।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त जानकारी में यह तथ्य मात्र निचली नर्मदा परियोजनाओं मे समय वृद्धि और महंगाई के लाभ पर करोड़ों का खेल हो रहा है। क्र. आ क्र. 403828/ सा/ 08-09/203 दिनांक 10/1/09 में शहीद चंद्र शेखर आजाद सागर (जोबट परियोजना) की मुख्य नहर आर डी क्र. 00 से 27 किमी के मध्य में (8 पेज हिन्दी वाले जोड़ पत्र क्र. से हस्ताक्षर तक)

भा.पु. सेवक की हत्या में शासकीय सेवकों की भूमिका भी संदिग्ध

पेज 8 का शेष

यही हाल जबलपुर के ग्वारीघाट से लेकर लम्हेराघाट तक, होशंगाबाद, मंडला, हरदा, खंडवा, खरगोन जिले के सनावद, बड़वाह, बड़वानी, महेश्वर, मंडलेश्वर तक नर्मदा नदी के साथ चंबल, कालीसिंध, ताप्ती जैसी बड़ी और सैकड़ों छोटी सी नदियों से हर दिन लाखों ट्रक रेत का संग्रहीकरण पूरे प्रदेश में होकर स्व खनन से अरबों रु. खेल हो रहा जिसमें क्षेत्रीय नेताओं के साथ, जिलाधीश, खनिज अधिकारी और निरीक्षक को भी हर जिले में करोड़ों रु. की बंदी मिलती है। जिसमें संबंधित थानों की पुलिस और टीआई को भी चंदी-बंदी मिलती है।

आईपीएस नरेन्द्र कुमार की हत्या में भी जिलाधीश, खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षक भी शामिल थे। साथ ही नरेन्द्र कुमार एक आईपीएस अधिकारी के साथ रहने वाले अंगरक्षकों ने उसकी हत्या में अहम रोल अदा किये क्योंकि सभी महीना खाने के आदि थे, फिर अवैध खनन के मामले में शिवपुरी में भी एसडीएम पर हमला किया गया, क्योंकि उन्हें नेताओं का संरक्षण था।

इंदौर में भी चारों तरफ की पहाड़ियों को, सांवेर रोड पर, नेमावर रोड पर देवगुराड़िया की पहाड़ियों से आगे असरावद खुर्द के आसपास की पहाड़ियों, देपालपुर मार्ग पर सरकारी, नजूल व वन भूमि पर भूमाफिया व खनन माफियाओं ने पूरी की पूरी पहाड़ियों को काटकर साफ करना शुरू कर दिया है, देवगुराड़िया की पहाड़ी के पास की पहाड़ियों को वर्षों से नोचा और काटकर डंपरों, एक्सकेशवेशन मशीनों से लगातार काटा और बेचा जा रहा है। बेशक इनकी वैध-अवैध दोनों की खुदाई और कटाई से खनिज निरीक्षक संजय लुनावत करोड़ों रु. हर महीने कमा रहा है। जिसका हिस्सा जिलाधीश राघवेन्द्र सिंग और संबंधित एसडीएम/एडीएम को मिलने से लेकर संचालक खनिज विभाग भोपाल मंत्री राजेन्द्र शुक्ल और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को भी करोड़ों रु. महीनों की कमाई करवा रहे हैं। इसलिये संजय लुनावत के बारे में अधिकांश दैनिकों द्वारा समाचार प्रकाशित किये जाने के बाद भी उसे हटाया नहीं जा रहा है।

खनिज निरीक्षक संजय की शिकायत एक बार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबंधित मंत्री से की थी तो उल्टे ही मंत्री ने स्थानीय मंत्री को बताते हैं, यह कहकर चुप कर दिया, कि विजयवर्गीय जी, किसको बैठाना है, किसको हटाना है, ये मैं देखूंगा, आप तो अपनी समस्या बताये कि आप का कौनसा काम कहां रुक रहा है। सूत्रों के अनुसार संजय लुनावत खनिज विभाग में एकछत्र राज कर रहा है। अवैध ट्रकों को सिमरोल घाट पर मानपुर घाट पर, नेमावर रोड पर उनसे लाखों रु. अवैध वसूली करता है।

आखिर इंदौर में चारों तरफ पहाड़ों से पत्थर तोड़ने का 24 घंटों कार्य चलता रहता है। अधिकांश इंदौर की चार सौ ज्यादा अवैध कालोनियों के निर्माण कार्यों में हजारों मकानों को बनाने में छतों के निर्माण में लगने वाली काली गिट्टी, काली लाल बजरी आदि के उत्खनन से करोड़ों रु. की अवैध रायल्टी चोरी हर माह की जा रही है। बावजूद खनन निरीक्षक रु. 5 लाख तक दैनिक की कमाई करता है। महीने की एक से सवा करोड़ की धन राशि में सभी को हिस्सा बांटता है, तो ऐसी दूध देती गाय की लात खाने, गाली खाने में सिर झुकाकर स्वीकारना ही बेहतर समझते हैं।

राला मंडल से देवगुराड़िया तक जब रोप वे ट्राली डालने और पर्यटन स्थल बनाने की चर्चा कई वर्षों से लगातार चल रही है, इससे ज्यादा जरूरी है कि रालामंडल से देवगुराड़िया के बीच की 2-3 पहाड़ियों को शासन पहले वन विभाग को सौंपकर पहले वहां सघन वन विकसित कर दे, जिससे वृक्षहीन मुंडी पहाड़ियों को न केवल खनन माफियाओं से बचाया जा सके दूसरी ओर भूमाफिया अन्यथा कुछ दिनों में कब्जे में लेकर खुदाई कटाई और गिट्टी पत्थर निकालना शुरू कर देंगे या कोई हिल रिसोर्ट विकसित कर कालोनी काट देंगे जैसा कि गारी पिपल्या मार्ग पर पहाड़ी को अवैध कालोनाइजर्स ने अपनी कालोनी विकसित करना शुरू कर दिया है।

म.प्र. में हर जिले में अवैध उत्खनन से जिलाधीश से खनिज निरीक्षक के साथ वहां के मंत्री, विधायक चाहे तो किसी भी पार्टी के हों बंदरबांट में और वसूली में लगे हैं। आवश्यक यह है कि पहले खनिज और राजस्व विभाग के प्रदेश 50 जिलों के जिलाधीशों पर शिकंजा बसा जाये, अन्यथा न केवल आईपीएस नरेन्द्र कुमार की हत्या वरन अभी कई और ईमानदार अधिकारियों वनमंडलाधिकारियों, रेंजरों की भी यही स्थिति बनेगी।

इसके विपरीत खनन और भूमाफिया का सच यह भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्रियों, केन्द्र व राज्य शासन के सभी मंत्रियों, संबंधित सचिवों, प्रधान सचिवों, जिलाधीशों से लेकर जनपदों के पंचायतों के सरपंचों तक सबको खनन और अवैध भूमि के षड्यंत्रों से दोनों हाथ पैसा मिलता है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि खनन से होने वाली आय को केन्द्रीय और राज्यों की राजस्व आय तक में नहीं दिखाया जाता जबकि सभी सरकारों की आय का प्रमुख स्त्रोत है। इससे बड़ा राष्ट्र की आय और जनता के साथ क्या षड्यंत्र हो सकता है।

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. सरकार का भाजपाई बजट 12-13 चुनावों के मद्देनजर

सभी भ्रष्टों को खुश करने का प्रयास - कमाई की व्यवस्था

कर्मचारियों को 7% ताकि अगले चुनाव जिताने की व्यवस्था हो सके

म.प्र. सरकार के भ्रष्ट वित्तमंत्री ने 29 फर.12 को अपना नौवां बजट प्रस्तुत कर दिया वैसे तो बजट चाहे प्रदेश सरकार का हो, देश की सरकार का हो या विदेशों में किसी भी लोकतांत्रिक सरकारों का हो, विशुद्ध आंकड़ों की बाजीगरी होती है। सो हमारे प्रदेश सरकार के वित्तमंत्री ने भी वही किया है। आंकड़ों की बाजीगरी और भविष्य में भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई की व्यवस्था हो सके, ताकि सरकार रहे न रहे, कम से कम जीवन यापन हो सके, अभी तक प्रदेश में चल रहे दैनिकों ने, विपक्ष के नेताओं ने, काफी कुछ आलोचनायें प्रकाशित कर दी है। फिर भी बहुत कुछ बाकी रहा है, उसमें से कुछ खास-खास विश्लेषतायें हम भी प्रकाशित कर रहे हैं।

रु. 1.50 पै. पेट्रोल सस्ता किया, जो 1 अप्रैल 2012 से लागू होगा। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 12 से शुरू होगा, जब तक केन्द्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत कर देगी, जिसमें रु. 3 से 4 बढ़ने की पूरी संभावना है, ताकि घाटा पूरा हो सके।

रु. 7710 करोड़- विद्युत के लिये जिसमें से रु. 5000 करोड़ सीधे विद्युत खरीदी के बहाने डकार लिये जायेंगे, या जो रु. 14000 करोड़ घाटे में चल रहे थे उसका चुकारा कर दिया जायेगा।

भ्रष्ट सत्ताधीश, जालसाजों ने मप्र विद्युत मंडल को 5 कंपनियों में बांटा ही इसलिए था ताकि तीनों विद्युत वितरण कंपनियां यथा मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कं. में बैठाये गये, साथ ही पारेषण और उत्पादन में बैठाये गये धूर्त गिद्धों आई.ए.एस. जो न तो इंजीनियर्स हैं, न ही अच्छे प्रबंधक ही हैं। पिछले दस वर्षों में इन 5 कंपनियों को लगभग रु. 1 लाख करोड़ के घाटे में उतार चुके हैं। 10 वर्षों में लगभग 20 बार कीमतें बढ़ाई गई है। केन्द्र और राज्यों के साथ आबकारी कर आदि से क्या राजस्व आय होगी, इसका कहीं कोई आकलन नहीं। 75% पैसा रखरखाव का हजम तो किया ही, साथ ही बड़े उपभोक्ता जिसमें अधिकांश उद्योगपति ही है। करोड़ों के बिलों में समायोजन के साथ ही किसी की किश्ते, किसी का बिल आधा कर कमीशन से भी डकैती डाली है। दूसरी ओर निजीकरण के उद्देश्य से सारणी और वीर सिंगपुर के ताप विद्युत केन्द्रों को कभी कोयले की कमी के नाम पर, कभी पुराने होने के बहाने के नाम पर जानबूझकर बंद करवाया गया, पुनः चालू करने के नाम पर लगभग रु. 600 से 700 करोड़ बर्बाद करने के नाम पर हजम कर लिये गये, जबकि सारी इकाईयों को बंद करने का मूल उद्देश्य ही था कि महंगी बिजली खरीद कर रु. 2 से 3/- प्रति यूनिट का कमीशन डकारा गया क्योंकि पहले ही विद्युत की कमी चल रही थी, दूसरी ओर 240×60 मे.वा. की 8 ताप विद्युत इकाईयों को बंद करने से 1200 मे.वा. की कमी और बढ़ गई, जिस विद्युत खरीद का घाटा रु. 14000 करोड़ तक पहुंच गया।

यहां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो था कि विद्युत मंडल को पहले 5 कंपनियों में बांटा गया, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी एक साथ पूरे म.प्र. विद्युत मंडल को संभालने में न तो सक्षम थी, न पूंजी विनियोजन की क्षमता, इसलिये आकार छोटा करने के लिये 5 भागों में टुकड़े किये, फिर अधिकांश कंपनियों के छोटे-छोटे कामों को अपने चाहेतों को ठेके पर दिया गया, वह भी कई गुना ज्यादा कीमतोंप र जैसे रख-रखाव, कॉल सेंटर्स, फिर बिलों का धनसंग्रह आदि को ठेकों पर देकर लुटवाया जा रहा है, अब यक्ष प्रश्न यह है कि पिछले 12 वर्षों में 24 बार बिजली की कीमतें, बल्कि 1994 के बाद से लगातार 18 वर्षों से कीमतें बढ़ाई जा रही है। हर वर्ष राज्य व केन्द्र का विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रु. 10 से 15 हजार करोड़ खर्च किया जा रहा है, आत्यधिक नियमित आवश्यकता का रखरखाव का 75% पैसा जो रु. 10 से 15000 करोड़ के लगभग पूरे प्रदेश का होगा, वह भी हजम किया जा रहा है, फिर भी प्रदेश, गांवों में 6 घंटे, तहसीलों में 12 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 16 घंटे, संभाग मुख्यालयों पर 20 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पा रही है तो रु. 7710 करोड़ में क्या किया जायेगा, साथ ही विद्युत नियामक नौटंकी आयोग का कार्य ही जनता, उपभोक्ताओं को भ्रम में फंसकर, उनकी आवाज सुने जाने की नौटंकी पूरी कर अंत में करता है, तो विद्युत वितरण कं. की बात ही है और जानबूझकर हजम किये गये धन को ये डकैतों की फौज चिट्ठे में मात्रा दिखाकर अंत में बिजली की कीमतें 5 से 10% तक हर बार बढ़वा लेती है। जनसुनवाई की नौटंकी केवल जनता को भ्रमित कर और आक्रोश को शांत करने के साथ ही सत्ताधीशों की लूट और कमीशन बाजी को वैधानिकता का लिवास पहनाने की नौटंकी ही करता है। ऊर्जा नियामक आयोग में बैठा सेवानिवृत्त जालसाज पूर्व मुख्य सचिव म.प्र. शासन का राकेश साहनी है। जब एक तरफ कीमतें बढ़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ रु. 7710 करोड़ का बजट में प्रावधान क्या किया गया है, मात्र लूटने के लिये।

इस बार 12-13 के बजट के समाचार पत्रों में प्रकाशन की सबसे बड़ी खामी या जालसाजी यह रही कि पूर्व की तरह बजट में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। न ही पूंजीगत

और आगम व्ययों का कोई ब्यौरा नहीं प्रकाशित किया गया अर्थात भाजपाई जालसाज कुछ मामलों में कांग्रेस के बाप सिद्ध होते हैं। बजट अर्थात कुल पूंजीगत और राजस्व की प्राप्तियों का विवरण और कुल पूंजीगत और नियमित व्ययों का विवरण प्रकाशित किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया, मात्र कुछ मोटे पूंजीगत और नियमित खर्चों का विवरण देकर आंकड़ों की जालसाजियों में भी उच्च स्तर की जालसाजियां की गई।

इसके संबंध में यथार्थ यह है कि विधानसभा के हाल में समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को जो मुफ्त भोजन के साथ जो प्रकाशन के लिये परोसा गया उसी को बिना किसी पूछताछ के और वास्तविकता के जाने प्रकाशित कर दिया गया। अर्थात भाजपाई मंत्रियों ने व्यापारियों से सांठगांठ करके वाणिज्य कर की वसूली में जो स्वकर निर्धारण की छूट दी उससे प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियों में जो पूर्व में कुल वास्तविक विक्रय कर का 30% होती थी घटकर मात्र 15 से 20 % रह गई, फिर भू-राजस्व, मुद्रांक, विक्रय राजस्व, खनन राजस्व, विक्रयकर, मनोरंजन कर, आबकारी कर आदि से क्या राजस्व आय होगी, इसका कहीं कोई आंकलन नहीं दिखाया गया।

व्यय के आवंटन में रु. 2733 करोड़ कृषि के लिये अधिकांश आवंटन अनुदानों में व्यय होगा जिसका 50% कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही डकार जायेंगे, कृषकों को अनुदान का आवंटन आधे-आधे पर ही मिलता है, अर्थात कृषि अधिकारी और कर्मचारी तब ही स्वीकृत करते है जब फुल अनुदान का आधा अनुदान कर्मचारी और अधिकारी के हाथ में आ जाता है। उसका 25% अनुदान ऊपर तक अर्थात मंत्री तक भी हिस्सा पहुंचा जाता है। देवास में ही लें भूमि संरक्षण, अधिकारी बिछौनिया रु. 15 करोड़ का अनुदान तालाबों पर बांटा अर्थात रु. 7.5 करोड़ उसने हजम कर लिया। 1800 तालाबों में से 30 से 40% तालाब कागजों पर ही बने, उज्जैन के उपसंचालक ने जब वो भूमि संरक्षण अधिकारी सीहोर थे 600 तालाब बनवाये और अनुदान बांटा उसमें से मात्र 147 तालाब चोरी हो गये।

रु. 4255 करोड़ नगरीय क्षेत्रों में अर्थात नगर निगमों, पालिकाओं के कार्यों के लिये आवंटित किये गये हैं। इसमें से रु. 3000 करोड़ की बंदरबांट अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही पार्षद और महापौर कर डालेंगे जैसी कि पालिकाओं और निगमों की परंपरा रही है।

रु. 2894 करोड़ पुलिस व्यवस्था के लिये आवंटित किये गये हैं रु. 894 करोड़ भी ढंग से खर्च हो जाये तो जनता सुरक्षित हो न हो परन्तु आम सिपाही से लेकर मुख्यालय तक बैठे डीजीपी अवश्य सुरक्षित होने का दिवास्वप्न देखने में कोई हर्ज नहीं होगा।

रु. 4342 करोड़ पुल और सड़कों के लिये आवंटित की गई है, वर्तमान में म.प्र. लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग बन चुका है। रु. 4342 करोड़ में से वास्तविक कार्य होगा मात्र रु. 2000 करोड़ का, बाकी पैसा 60% हजम कर लिया जायेगा, पुलों के निर्माण में कुल बजट का 45% पैसा, जबकि सड़क निर्माण में पुरानी सड़कों पर 5 से 35% तक बाकी हजम नई सड़कों पर 20 से 40% ही पैसा खर्च किया जाता है, बाकी हजम, वर्तमान में म.प्र. के 50 जिलों में बैठे भवन पथ निर्माण के 95% कार्यपालन अभियंता महाभ्रष्ट हैं। जिन्हें ठेकेदारों के साथ मिलकर कार्य करवाना नहीं बस पैसा हजम करना आता है। अकेले इंदौर के पश्चिमांचल में बैठे 9 भवन और पथ के का.अ. में 8 को तो भवन निर्माण के समय कार्य की नाप पुस्तिका तक भरनी नहीं आती, इंदौर सं.क्र. 1 में बैठा राणे, सं. दो के बागोले, धार का रावत, झाबुआ का यादव, हाल ही में पदस्थ नायर अलीराजपुर संभाग में, वर्षभर में रु. 20 से 30 करोड़ तक हजम कर रहे हैं। उज्जैन में हाल ही में स्थानांतारित हुए टुटेजा ने तो चारों तरफ भ्रष्टाचार का भारी तांडव किया। गुणवत्ता तो दूर आवंटित धन का 20 से 30% का वास्तविक कार्य नहीं करवाया जिसका सीधा सा नमूना उज्जैन-देवास मार्ग को दवाना मताना तक प्लेन करना था परन्तु इस हरामखोर ने मात्र दोनों तरफ 6-8 इंच की क्रस्ट बिछाकर डामर कर दिया और पुरानी सड़क से न तो उसका तल मिलाया गया न ही मार्ग विभाजक रेखाओं को सफेदे से रेखांकित तक किया गया, यही हाल निहायत ढीले मंत्री नागोद और प्र.स. के के सिंग के रहते पूरे म.प्र. में चल रहा है जबकि प्रमुख अभियंता पद पर विराजे अग्रवाल को भी अपने कमीशन से ही मतलब रहता है। कार्य की गुणवत्ता और वास्तविक धन आवंटन के अनुसार कार्य से नहीं, वैसे भी अधिकांश राजमार्ग जब बीओटी ठेकों में राष्ट्रीय राजमार्ग, रा.रा. प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जा चुके हैं तो फिर रु. 4342 करोड़ में से रु. 2000 करोड़ तो आसानी से हजम कर ही लिया जायेगा।

रु. 3911 करोड़ का आवंटन सिंचाई प्रबंधन अर्थात म.प्र. जल संसाधन विभाग के लिये किया गया है, जबकि इस विभाग में पूर्व के ऐतिहासिक भ्रष्ट प्रधान सचिव रा.र. जुलालिया, जिनका पूर्व में बड़वानी, म.प्र.वि.मं. शिक्षा विभाग व अन्य सभी स्थानों पर जहां-जहां इन्होंने काम किया भ्रष्टाचार और अपवादों में घिरे रहे हैं। वर्तमान में जब से जल संसाधन विभाग में आये हैं। पूरे पश्चिमी म.प्र. के मालवा में अधिकांश कार्य ठप्प पड़े हैं। बुंदेलखंड में केन्द्र सरकार का बुंदेलखंड पैकेज का धन का भी सदुपयोग इसकी अक्खड़ शाही के कारण नहीं हो पा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मात्र कागजी घोड़े दौड़ाये जा रहे हैं। कई कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। उपयंत्रियों और सहायक यंत्रियों की सेवायें ग्रामीण यांत्रिकीय सेवायें, नर्मदा घाटी, पंचायत विभागों को मनरेगा के कार्यों के लिये सौंपी जा रही है। इस विभाग से प्र.स. जुलवानिया के डंडे के चलते भी स्टॉफ दायें-बायें इन विभागों की तरफ भाग रहा है।

रु. 1435 करोड़ का आवंटन नर्मदा घाटी को किया गया है, जिसमें भी उद्वहन सिंचाई योजनायें जो पूर्णतः फ्लाप शो, विद्युत के अभाव और विद्युत मंडल से कंपनियां बनने के कारण सिद्ध होंगी पर खर्च किया जा रहा है, रु. 1500 करोड़ की कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना, तत्काल में नर्मदा नगर संभाग में बन रही पुनासा उद्वहन, खरगोन में बन रही खरगोन उद्वहन परियोजना पर भी रु. 600 करोड़ और 500 करोड़ खर्च किये जा रहे हैं। जो मात्र 5 से 10 वर्ष तक ही अधिकतम मुश्किल से चलेगी, केवल अरबों रु. हजम करने के लिये ही बनाई जा रही हैं। मात्र 30 से 40 % धन ही मुश्किल से कार्यों पर खर्च हो रहा हैं। बाकी हर वर्ष बियाणी, कर्ण सिंग जैसे भ्रष्ट, जालसाज ठेकेदारों की कठपुतली बन मंत्री से संत्री, यंत्री तक नाच रहे हैं। चारों तरफ लूटपाट मची हुई है।

रु. 3596 करोड़ का बजट स्वास्थ्य विभाग के लिये आवंटित किया गया है, म.प्र. के स्वास्थ्य विभाग की महिला पाठक आये दिन समाचार पत्रों में वर्णित की जाती हैं, जहां मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चलकर भ्रष्टाचार पूरे विभाग की धमनियों में बहता हुआ संचालक मित्तल से चलकर जिला अस्पतालों, मुख्य चिकित्सा, अधिकारियों रूपी आंख और हजम करने वाले मुंह से लेकर वार्डबाय और सफाईकर्मियों पैरों को अंगुलियों तक बहता है। मु.चि.अ. को जिलों में बजट का आवंटन 10 से 20 % कमीशन पर होता है। मुख्यालय से लेकर मु.चि.अ. तक 50 जिलों के कार्यालयों में चिकित्सीय औषधियों, सामग्री तक सबके विक्रेताओं और दलालों का साम्राज्य है। जहां 10 से 25 % की वास्तविक खरीदी, स्तरहीन सामग्री की ही होती है, बाकी सारा बजट मंत्रियों, डाक्टरों, औषधि और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं और दलालों में बंट जाता है। कुल रु. 3596 करोड़ के बजट में रु. 700 से 800 करोड़ की ही सामग्री का उपयोग गरीब बीमारों के लिये होगा, जब स्वा. राज्य मंत्री महेन्द्र हार्डिया के रिश्तेदारों की फर्मे ही आपूर्तिकर्ता हो तो स्थिति समझी जा सकती है।

म.प्र. सरकार के राघवजी ने पूरे बजट में भ्रष्टाचार से धन वसूलने की व्यवस्था को पूरी की ही है साथ ही लक्ष्य 2013 के चुनाव जीतने के लिये पर्याप्त धन राज्य शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लुटाया गया है। ताकि 2013 का चुनाव जिताने के लिये शासकीय कर्मचारी-अधिकारी पूरी मेहनत से सत्ता की बारहखड़ी दोहराये।

इतने सारे धन की लूटपाट की व्यवस्था के बाद भी अनुपूरक मांगों के बहाने भी हजारों करोड़ के बजट मांगों का भी निरंतर अनुमोदन भी विधानसभा में लगातार किया जा रहा है।

इन सब तथ्यों के उपरांत भी ये सारी बजट की नौटंकी यथार्थ में आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा होती है।

इस बजट की मूलभूत खामी यह भी रही है कि प्रदेश के हर विभाग में हर वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी है। उनके चयन की भर्ती प्रक्रिया से युवाओं के रोजगार, उनके कल्याण की कोई खास व्यवस्था बजट में नहीं की गई, आम जनता पर बिजली बिलों पर 5% वेट के साथ, शक्कर, कपड़ा पर कर लादकर यथार्थ में आम नागरिकों को तो राज्य के बजट में लूटा ही गया ऊपर से केन्द्र शासन ने बजट में सेवाकर की वृद्धि का दायरा 11 वस्तुओं से बढ़ाकर 227 कर दिया है, स्वाभाविक है वास्तविकता में प्रदेश की आम जनता को लुटा ही गया है।

केंद्रीय बजट 12-13 डकैतों ने जन-धन पर की डाके की व्यवस्था

प्रणब लेगा प्राण आमजन के, सारा कर भार गरीबों पर

बजट आंकड़ों की बाजीगरी, अमीर और अमीर व गरीब और गरीब होगा

भारत में कांग्रेस शासन के चलते आम आदमी को राहत की उम्मद कभी नहीं रही, कांग्रेस के डकैतों का इतिहास रहा है कि वो जनता को लूटकर धन इकट्ठा करते हैं। फिर उसे अपनी लूट और कमीशन बटोरने के दृष्टिकोण से खर्च करते हैं। ताकि उनको अपने वर्तमान और भविष्य के लिये पर्याप्त से हजारों लाखों गुणात्मक धन प्राप्त हो सकें, फिर ये धन अपने विदेशी बैंक खातों में पहुंचा सके,

कांग्रेसी बजट का इतिहास रहा है, तो जो करारोपण कस्टम एंड एक्साइज, सेवा शुल्क केनाम पर करते हैं। उनसे सीधा अप्रत्यक्ष भार गरीब की थाली पर पड़ता है, जिन्हें वास्तविकता में कस्टम एंड एक्साइज और सेवा शुल्क जैसे अन्य करों का भुगतान सीधा कर विभागों को करना होता है, वास्तविकता में कुल करारोपण का 10 से 30% तक का भुगतान रिश्वत का कर वसूलने वाली एजेंसियों को कर 40 से 90% तक धन स्वयं डकार जाते हैं। जबकि जनता से सीधी वसूली उत्पादक, विक्रेता, एजेंसी कर ही लेती हैं।

इससे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को जीवनयापन में मुश्किल उत्पन्न होती है, दूसरी तरफ सभी प्रकार की करों की चोरी से उत्पादक, विक्रेताओं, एजेंसियों की धनाढ्यता बढ़ती जाती है। भारत में यह गरीबों-अमीरों की खाई और अमीरों के पास कालेधन में अत्याधिक करारोपण ही मूल रूप से जिम्मेदार है। जहां राष्ट्र की 30% आबादी जो गरीब और गरीबी रेखा से नीचे पर जीवनयापन कर रही उसकी औसत दैनिक आय रु. 200/- प्रति व्यक्ति से भी कम है, उसे उसमें दो वक्त मुश्किल से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, बिजली,पानी का खर्च निकालना होता है। दूसरी ओर मध्यमवर्गीय उच्च मध्यमवर्गीय और उच्च वर्ग को करारोपण के बढ़ने से ज्यादा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ता, बेशक इसका सीधा असर नौकरीपेशा, निश्चित आय पर भार बढ़ता है दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग को करारोपण से चोरी बढ़ने से लाभ भी बढ़ जाता है।

12-13 के बजट में जिन 119 सेवाओं पर कर का दायरा बढ़ाकर 219 कर दिया गया है। जिसमें स्कूल फीस, रेल्वे टिकिट पर कर, मोबाइलों पर रिचार्ज पर कर 10 से 12.5 % कर, कोचिंग आदि कर भार, केबल कनेक्शनों पर कर भार 10 से 20% कर का भार गरीबों पर ज्यादा भारी पड़ेगा और सीधा वो भोजन से कटौती करेगा, रु. 10,000 तक की निश्चित मासिक आय वालों को इस बजट से परेशानी ही बढ़ी, रु. 2 लाख तक आयकर का लाभ मात्र रु. 16,667/- रु. तक की मासिक आयवालों को हुआ, अब प्रश्न यह उठता है कि इस आय वर्ग से नीचे कुल आबादी भारत में कितनी है जिसका लाभ उसे मिलेगा जबकि वर्ष 12-13 के बजट में सारा करारोपण का भार समान रूप से उसे भी भुगतना पड़ेगा, स्वाभाविक है, जल, विद्युत, शिक्षा, रिचार्ज, कोचिंग, किराया के बढ़े हुए भुगतान से दो वक्त का भोजन भी ढंग से परिवार को दुर्लभ होगा। कांग्रेस की जालसाज और डकैत सरकार अपनी कमाई को बनाये रखने भूमाफियाओं, कालोनाइजरों के इशारे पर नाचती है। इसलिये उसने गृह ऋण पर रु. 25 लाख तक पर छूट जारी रखी।

जबसे कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाली है, बैंकों की जालसाजियों और डूबत ऋणों के लिये बराबर हजारों करोड़ की एक बारगी छूट हर वर्ष दे रही है इस बार भी रु. 15888 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जबकि बैंकों में अधिकारियों की लूट आंख मींचकर कमीशन लेकर ऋण बांटने की जालसाजियों पर कड़ी जांच अधिकारियों को दंडित करने, व अन्य प्रकार की जालसाजियों को रोकने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्हें ही हर वर्ष इस प्रकार रु. 15000 करोड़ से रु. 20000 करोड़ के पैकेज देकर बैंकरों को जालसाजियों का बढ़ावा दिया जा रहा है। ताकि वह भी अपने चहेतों को बैंक ऋण दिलवाकर डूबाकर भरपाई सरकारी खजाने से करती रहे, जबकि ऐसा अधिकांश ऋण बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. को दिया जाकर सैकड़ों करोड़ हर वर्ष डूबत में डालकर जनता के खून पसीने की कमाई से वसूले गये धन से कर लेती है।

स्वर्णाभूषणों पर करारोपण का प्रणब दा ने वैसे कुछ भी बुरा नहीं किया, निम्न आय, मध्यम निम्न श्रेणी के लोगों के पास इतना धन होता, स्वर्णाभूषणों में सबसे ज्यादा कालेधन का ही निवेश किया जाता है। फिर स्वर्णाभूषणों सराफा व्यवसायी खुलकर लूटते भी है। इसलिये इनकी हड़ताल के बाद भी इस पर आयात शुल्क और ब्रांडेड ज्वेलरी पर करारोपण नहीं हटाया जाना चाहिये, कम से कम कालेधन से तो शासन को कर मिलना ही चाहिये, आकिर हजारों रु. प्रतिवर्ष स्वर्णायात के बाद कहां जाता है। स्वाभाविक है, कालेधन का सर्वाधिक निवेश स्वर्ण और आभूषणों में कर सुरक्षित कर लिया जाता है, जिसकी बढ़ती कीमतों का निवेशकों को दोहरा लाभ मिलता है और पूंजी भी ठोस और तरल रूप में हाथ में रहकर भी लाभांवित करती रहती है।

बुनकरों को कर्ज माफी के लिये दिये हैं रु. 3884 करोड़ बशर्ते ये धन सीधे ही बुनकरों के खाते में जमा होकर ऋण भुगतान कर सके, भारत में वर्तमान में हाथकरघा वस्त्रोद्योग को जीवनदान मिलने के साथ परंपरागत बुनाई कला को जीवित रखा जा सकेगा, अन्यथा वस्त्रों के यंत्रीकरण के उत्पादन से यह उद्योग समाप्ति की कगार पर आ चुका है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रु. 9217 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका रु. 4000 करोड़ से 5000 करोड़ तक, कृषि विभाग के केन्द्रीय मंत्रालय से लेकर राज्यों के कृषि मंत्रालयों और उनके अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी ही हजमकर जायेंगे और वास्तविक स्थिति में सीमांत कृषक जिसके पास 5 से 25 एकड़ तक जमीन है, कर्ज में लदा रहकर आत्महत्या के लिये मजबूर हो जायेगा, जैसा कि पिछले 30-40 वर्षों से किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं में सामने आ रहा है।

कृषि ऋण के लिये रु. 5,75 हजार करोड़ की व्यवस्था अवश्य की गई है परन्तु ऋण बांटने वाली बैंकें कम से 1% से 5% तक किसानों से कमीशन डकार कर रु. 5750 करोड़ उसके अधिकारी ही हजम कर जायेंगे, स्वाभाविक है जब किसान 1 से 5% तक कमीशन बांटेगा फिर 12 से 18 % के ऋण पर कर्ज लेगा औसतन 20% वार्षिक के कर्ज पर कृषि करना घाटे और ऋण बढ़ाने वाली ज्यादा होगी, फिर वही अंत जो वर्षों से देखा जा रहा है आत्महत्याओं का दौर चलेगा, यहां भी आवश्यकता है कर्ज देने वाली बैंकों के भ्रष्टाचारों पर नकेल डालना ज्यादा जरूरी है ताकि कृषि ऋण की अदायगी होने के साथ ही तरलता बनी रहे किसानों के हाथ में। सड़कों के लिये रु. 24000 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। इस धन का लगभग रु. 15000 करोड़ ग्रामीण सड़कों को जोड़ने में और रु. 9000 करोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के साथ ही यदि केंद्रीय सड़क निधि में जायेगा, तब भी इस धन का लगभग रु. 6000 करोड़ का धन ठेकेदारों और अधिकारियों-इंजीनियरों द्वारा हजमकर लिये जायेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्थात एनआरएचएम में रु. 18115 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें सारे कार्य ठेके प्रथा के अंतर्गत संविदा नियुक्तियों वेः डॉक्टरों, आशा, उषा कार्यकर्ताओं और एनआरएम द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उपसंचालक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत संपन्न होते हैं। जहां नियुक्तियों से भ्रष्टाचार शुरू होकर औषधियों और चिकित्सीय सामग्री खरीद कर कागजों पर ही संपन्न होता है। इसका 40% पैसा भ्रष्टाचार में पूरे देश में हजम किया जा रहा है अर्थात रु. 10000 करोड़ तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे।

महिला बाल विकास योजना में रु. 15850 करोड़ रु. में से रु. 12000 करोड़ केन्द्र व राज्यों के महिला बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी और मंत्रियों से लेकर अंतिम कड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक डकार लिये जायेंगे, जबकि कुपोषण से मौतों का सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 70 से 100 बच्चों की झूठी उपस्थिति दिखाकर सारा भोजन औषधियों और पौष्टिक आहार का पैसा डकारती रहेंगी, स्वयं के बैंक बैलेंस, आभूषणों और संपत्तियों का पोषण करेंगे।

मध्यान्ह भोजन में रु. 11937 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, अर्थात रु. 4000 करोड़ का मध्याह्न भोजन सरकारी स्कूल के बच्चों को मिल जायें तो कम से कम 4 करोड़ बच्चों की शिक्षा का खर्च बच्चों के माता-पिता पर कम से कम पड़ेगा और उनकी किस्मत सुधर जायेगी, इसका भी लगभग रु. 7000 करोड़ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से लेकर राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रालयों, उनके जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों, कार्यपालन अधिकारियों से लेकर सरपंच और स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के खातों में चला जायेगा और बच्चे सरकारी स्कूलों की अव्यवस्था से त्रस्त होकर घर भाग जाया करेंगे। मध्याह्न भोजन का गेहूं खुले में आटा मिलों को, मैदा मिलों को और विक्रेताओं को काश्मीर से कन्याकुमारी तक बेचा जाता रहेगा।

पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि में रू 12040 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है। उससे रुपये 6000 करोड़ का धन अनु. जाति जनजाति के अतिरिक्त है पिछड़ा वर्ग के केन्द्रीय व राज्य मंत्रालयों द्वारा उनके कार्यो को संपन्न करने वाली एजेसिया जिला पंचायत जिला संयोजक के साथ ही नगर निगमों पालिकाओं से लेकर सरपंचो तक कागजी कोरी कार्यवाही कर हजम कर लिया जायेगा। पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही बना रहेगा। अगर उसकी उन्नति हो गई तो भविष्य में बजट आवँटन कैसे होगा।

जहां इस बजट में प्रणव अर्थात प्रांण लेने वाले वित्त मंत्री ने् आयकर दाताओं को छोटी सी छूट आयकर की सीमा बढ़ाकर दी वहीं दूसरी ओर 119 सेवाओं पर कर की सीमा का विस्तार कर 219 कर दी इसमें अधिकांश सेवाओं से वसूली की व्यवस्था कर न केवल एक तरफ महंगाई बढ़ा दी तो दूसरी रुपये 45940 करोड़ का टेक्स की अनुमानित आय में रुपये 9000 करोड़ की रिश्वत खोरी की व्यवस्था कर दी गई जो कस्टम एक्साइज के अधिकाकी कर्मचारी धमका चमकाकर हजम कर जायेंगे, और कुल सेवा शुल्क 15 से 25% ही वसूली होगी,

पर कहर ढाता है अगर दाये से 1देते हैं तो वास्तविकता में बांये से 1000 वसूल लेते हैं। जिससे गरीब रोटी के लिए तरस जाता है। तो दूसरी तरफ अमीर को काली कमाई का विनियोजन समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि शेष मार्केट --- का बाजार पिछले दस वर्षो में ही गुणात्मक कीमतों ही बढ़ोत्तरी कर रहा है। कांग्रेस के डकैतों का मानना है आम आदमी के प्रांण छोड़कर सब नोच लो।

अमेरिका का ईरान पर आक्रमण का षड्यंत्र

पेज 1 का शेष

भले ही वह बिच्छू राष्ट्र हमारा मित्र राष्ट्र है। परन्तु बिच्छु -बिच्छु होता है। डंक मारना उसकी नीयति है जिस स्टीकर तकनीक से इजरायली कार में बम विस्फोट किया गया है वह दुनिया में मोसाद के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, अर्थात अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ही हमले का षडयंत्र रचकर स्वय़ं विस्फोट का डंक मारा भारत की धरती पर,

यथा पूरी दुनिया मे यह ठोस सर्वमान्य सत्य है कि हर दूतावास जहां वह है उस राष्ट्र में यथार्थ में उस राष्ट्र के विरूद्ध जासूसी करना, षड्यंत्रों की रचना करना आदि का ही प्रमुख कार्य करते हैं। ताकि सामरिक वाणिज्यिक आर्थिक सामाजिक हितों का संधान संपन्न किया जाता रहे के लिए ही कार्य करते हैं।

अर्थात भारत की धरती से निकट मित्र जिससे हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चलती है ईरान के विरुद्ध विश्व मंच को अमेरिकी ईरान पर आक्रमण के लिये तैयार कर सके इस प्रकार भारत और ईरान का व्यापारिक लेन-देन समाप्त हो जाये।

भारत की आर्थिक विकास वृद्धि को रोका जा सके और उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर किया जा सके। संभवतः सोनिया गांधी बीमारी का बहाना लेकर अमेरिका गई थी इस षड्यंत्र को हरी झंडी देकर आ गई। बल्कि इस यात्रा से बंदी ने कई तीर एक साथ दागे। बीमारी का बहाना बताकर यूपी के चुनाव में सहानुभूति के आधार पर वोट बटोरे जा सके दूसरी ओर बीमारी के बहाने शक की अंगुली न उठे कि बार बार क्यों अमेरिका की यात्रा की जा रही है। तीसरी ओर किसी भी प्रकार से ऐसे हमले में भारतीय धरती का उपयोग कर न केवल आर्थिक सामाजिक संबंधो को तोड़कर आर्थिक रुप से भारत और ईरान दोनों की अर्थव्यवस्था को तोड़कर ईरान पर आक्रमण कर उसके तेल कें कुंओं को हथियाया जा सके,

अब जबकि अमेरिकी भारत को सीधी धमकी दे रहा है। उस पर प्रतिंबंध लगाने की बेशक ये सब सोनिया के इशारे पर हो रहा है ताकि उसकी आड़ मे भारत ईरान से संबंध तोड़ ले। जबकि अमेरिकी ईरान के नागरिकों को अकारण फंसा कर अमेरिकी की कुल रणनीति ईरान के विरुद्ध विस्व के जनमत को तैयार करना है। आश्चर्य इस बात का है कि भारत के सत्ताधीशों की अक्ल सोनिया के चरणों में गिरवी है। उन्हें अपने देश और देशवासियों की चिंता नहीं वो भी अमेरिका के ही चरणों में लोटलगाकर उनकी चरणरज को माथे पर लगाकर उनकी ही गागरोनी बोल रहे हैं। जो राष्ट्र दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है. उसे ठुकराकर डुबो देने की अपेक्षा उस पर दांव लगाकर अपने पड़ोसियों से संबंध निभाने पर तुले हैं। साथ ही अमेरिकी जालसाजियों में शामिल होकर स्वयं भी जालसाजियों का जाल बुनकर मकड़ी की तरह फंस जाना चाहते हैं।

वियतनाम अफगानिस्तान और ईराक पर आक्रमण और बर्बाद करने के मामले में जो रणनीति वह अभी ईरान के लिए अपना रहा है। उस नीति से वह स्यमं बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ है। यदि वह ईरान पर आक्रमण करता है। तो बची खुची इज्जत और दबदबा भी न केवल जाता रहेगा। बल्कि भुखमरी की कगार पर आ खड़ा होगा। जिन नाटो राष्ट्र का वो अभी उपयोग कर रहा है। इस गिरोह के सदस्य भी उससे अलग होना शुरू हो जाएंगे। जब वह अलग थलग पड़ जाएगा तो उसे उसकी औकात मालुम पड़ जाएगी। सभी एशियाई राष्ट्रों खासतौर पर भारत चीन रूस पाकिस्तान के साथ ही जापान जैसे राष्ट्रों का अमेरिका का ईरान के मामले में एक जुट विरोध करना चाहिए। तो दूसरे राष्ट्रों पर क्या प्रतिबंध लगेगा। उल्टे सभी एशिय़ाई राष्ट्रों पर इस पर प्रतिबंध लगाकर उससे आयात निर्यात बंद कर देना चाहिए।

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग

चारों तरफ लूट बंदर बाट मची है पूरे प्रदेश में धन की

सारे कार्यपालन अभियंता जुटे हैं, कागजों पर कार्य, ठेकेदारों की चाकरी

मप्र प्रदेश लोकनिर्माण विभाग पूरे प्रदेश में सभी जगह अपनी भ्रष्ट कार्यशैली का सदियों से परिचय देता रहा है। तो भ्रष्टाचार यहां की परंपरा है। स्वाभाविक है हर अधिकारी अधिकारी पूर्वक इसका निर्वहन जहां जैसे मौका मिलता है या मौका निकालकर कर ही रहा है। उब प्रश्न उठता है कि परंपरा का निर्वहन कितनी श्रेष्ठता और चालाकी के साथ करता है। जहां भ्रष्टाचार के निर्वहन की परंपरा में होड़ मची हो स्वाभाविक है जन धन का जन कल्याण नहीं स्वकल्याण में श्रेष्ठता दिखानी है। अर्थात जो जितना जालसाजी करेगा। वो उतना ही श्रेष्ठ भ्रष्ट होगा। और जो जितना ही भ्रष्ट होगा वो उतना ही मंत्री संत्री इंजीनियरिंग चीफ से लेकर मुख्य अधिक्षण यंत्री और अपने न केवल वरिष्ठों में वरन अपने मातहतों में प्रिय होने के साथ लोकायुक्त आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो मे भी प्रिय होगा।

पूरे प्रदेश के अधिकांश कार्यपालन अभियंताओं में यदि कार्य की योग्यता की बात की जाये तो 90 प्रतीशत अभियंतओं का ढंग से नापपुस्तिका भरन नहीं आनी आती सड़क के कार्यो में 90 प्रतीशत अभियंताओं को सामग्री की गुणवत्ता भूमि आदि तक की बारीकी तक का भी ज्ञान पद के अनुसार नहीं है। इसके विपरीत इन्हें कागजी आंकड़ों मे प्राक्कलन से बेहतर कार्य दिखाकर भ्रष्टाचार मे धन हजम करने की स्नातकीय और उळझाने के लिए जानबूझकर समय उपरांत जनकारी पुरानी तारीख मे भेजते हैं अब यदि आवेदक समझदार हुआ तो अपील करेगा और लिखेगा कि समय उपरांत पत्र प्राप्त हुआ तो भी इनके संरक्षक अपीलेट अधिकारी जो इनका भ्रष्टाचार की मासिक वसूली के हिस्सेदार होते हैं। वो आवेदक की अपील मे भी कह देगा कि आप पैसे जमा करें और जानकारी लें। जब आवेदक इसके विरुद्ध में द्वितीय और अंतिम अपील में जायेगा तो मामला वर्ष दो वर्ष के लिए टल जाएगा। और वो भ्रष्ट शूकर शान के बच निकलेगा दो वर्ष बाद यदि जानकारी आ भी गई तो औचित्य हीन ही रहेगी।

इंदौर के सं. क्र 1 के का. अ. ए पी रान के जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी मांगी गई थी बंदे ने साफ लिखकर दे दिया कि आवेदक अनावश्यक जाति प्रमाण पत्र मांगकर परेशान कर रहा है। संदेहास्पद स्थिति न केवल जाति प्रमाण पत्र में है वरन उम्र में भी इस हरामखोर ने जालसाजी की है। राने महाराष्ट्रीयन में पाये जाते हैं। जो सामान्य वर्ग के हैं। जबकि इनकी सेवा पुस्किता मे जाटव अनुसूचित लिखा है। दूसरी ओर जन्म तिथि 06/08/1969 हायर सेकंडरी 1985 में उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी से अर्थात बी ई में प्रवेश प्रथम श्रेणी के आधार पर हुआ उस वक्त मात्र वे 16 वर्ष के थे इस ने सं, क्र दो मे रहते हुए पत्र क्र. 4083/सू का.अ/ 10-11 इंदौर की 28/10/10 में स्पट लिखा है कि मेरे पास जाकि एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है। शासन के रिकार्ड से जानकारी प्राप्त करें।

इस का अ. राणे ने अपने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान तो विभाग मे नियुक्ति के कुछ समय पश्चात हीन देने प्रारंभ कर दिये थे। पर जब से का अ. बनने के बाद भ्रष्टाचार मे श्रेष्ठता प्राप्त करने की जाति तीव्र हो गई। देवास और धार मे रहकर कुल आवंटन मे से कमी भी सड़क निर्माण में 60% मरम्मत में 40% से ज्यादा वास्तविकता कार्य पर खर्च नहीं किया भवन निर्माण में भी 20 से 30 % पैसा हजम किय गया देवास और धार में भी इस हरामखोर इंजीनियर द्वारा 50 करोड़ से ज्यादा हजम कर लिया धार देवास और संभाल-2 इंदौर मे तो इसने अपनी अप्रत्यक्ष सहभागिता में ठेकेदारों से करणकर केवल 10 से 30.40% पैसा खर्चकर धन हजम करना था अब जब से संख्या क्र एक में आया है अरबों रुपये की लोकनिर्माण विभाग की संपत्तियों में भी वारे न्यारे करने में जुटा है। जिसमें संपत्तियों का किराया पट्टा खरीद विक्री तक शामिल है। जो संपत्तिया दुकाने भवन भूमि होल्कर राज्य की थी वे सारी जमीनें भवन दुकाने मप्र लोत निर्माण स क्र 1 के अधीन थी जिनका रख रखाव किराया वसूलने पट्टे का किराया आदि संख्या क्र 1 को ही वसूलना था पर इस संभाग से जानकारी मांगी गई तो जानकारी वर्षो बाद अभी तक अप्राप्त है जबकि ऐसी कई जमीनों पर बड़े भवन होल्कर और दुकानें खड़ी हैं। जिनकी खुल कर खरीदी बिक्री हो रही है। जिसमे ढक्कन वाले कुए कां होटल मरोठिया बाजार की गली की दुकाने चिड़ियाघर के सामने वाले हिस्से आदि की दुकाने गली की दुकानें बेशक इस खरीज फरोख्त में इंदौर जिलाधीश कार्यालय भी शामिल रहा है। वे ही 7-8 वर्ष बाद बहुत सी फाइले लेकर गये थे। यहां तक कि जहां वर्तमान में मुख्य अभियंता कार्यालय है। वहजमीन 400एकड़ की थी जो पलासिया थाने से प्रारंभ होकर साकेत और तिलक नगर के संभाग क्र. 1 के पीछे तक थी जहां अब ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होंम और बड़े बड़े शापिंग काम्पलेक्स हैं। वही हाल गंगवाल बस स्टेण्ड से महू नाके तक पशु चिकित्स विभाग तक का है। इस सब खेलों मे सं क्र. 1 के कार्य अभि ने अपनी अहंभूमिकाएं निभाकर धन हजम किया है।

शासन के धन आवंटन में 1 अप्रैल से 31.10.11 तक जो भुगतान किए गए उसकी अगर बारीकी से जांच की जाए तो ये परिणाम सामने आयेगे मरम्मत में रुपये 42,94,805/- के भुगतान मे से रुपये 18 लाख का काम हुआ बाकी झूठे बिलों से हजम अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य में रुपये 24,87,015 का भुगतान वास्तिविक कार्य मात्र रुपये 8 से 10 लाख का पुलिस विभाग में रुपये 18 लाख के कार्य में से कार्य हुआ मात्र रुपये 8से 10 लाख का ए आर पेच मरम्मत मे रुपये 21,20,809/- का भुगतान कार्य हुआ रुपये 2,95 लाख का कार्य हुआ मात्र रुपये 1 करोड़ 50 लाख बाकी हजम सिमरोल उदयनगर भुगतान रुपये 9957589/- मात्र रुपये 50 लाख काय कार्य इदौर खंडवा सेमलिया चाऊ भुगतान रुपये 220 लाख कार्य मात्र 120 लाख का पुराने रा ए 3 रुपये 13042 हजार का भुगतान कार्य नहीं हुआ 70 लाख अभी भी सड़कों में गड्ढे किमी 591/8से 599/6 पुराने ए बी रोड कि 05/6 से 13/6 रुपये 150 लाख का भुगतान कार्य नहीं मात्र रुपये 70 लाख का भी सड़क अभी भी ढंग से चलने योग्य नहीं उदयपुर सिकंदरी बेटमा रुपये 3096485/-का भुगतान रुपये 20 लाख का भी ढंग से कार्य नहीं चौहान खेड़ी खेमना रुपये 30 लाख का भुगतान रुपये 12 लाख का भी कार्य नहीं पिवड़ाय खुडैल बुजुर्ग रुपये 40 लाख का भुगतान रुपये 12 लाख का भी काम स्तरहीन पिपलदा पिल्लोर बुजुर्ग रुपये 10 लाख भुगतान रुपये 5 लाख का भी काम नहीं नांदेड़ कन्हारिया हरपालपुर रुपये 4.5 लाख भुगतान रुपये 2 लाख का भी कार्य नहीं सेमलिया पावरमिद रुपये 9 लाख का भुगतान कार्य 4 लाख का भी नहीं पुराने एब रोड़ मायाखेड़ी रुपये 4454574/ का भुगतान रुपये 20 लाख हजम उच्च न्यायालय की शाखा का विस्तारी करण रुपये 3495400 लाख का भुगतान कार्य मात्र रुपये 20 लाख का मजबूती रुपये 37148520 रुपये 28 लाख की ही कीमत का कार्य विरुपन बीनीकरण रुपये 48 लाख का भुगतान कार्य मात्र रुपये 20 लाख का मजबूती रुपये 37148520 /-रुपये 2 करोड़ से जेब की मंजबूती मंडी विकास रुपये 10814958 का भुगतान रुपये 50 लाख का ही

कार्य आवासीय भवनों का रखरखाव में भुगतान रुपये 10589985/- हजम रुपये 50 लाख सामान्य मरम्मत रुपये 8620400 कार्य मात्र रुपये 40 लाख का विश्राम गृह का रखरखाव रुपये 24061461 रुपये 20 लाख ही खर्च अधीनस्थ न्यायानलयों के भवन रखरखाव में भुगतान रुपये 1061500 रुपये 5 लाख ही खर्च अर्थात रुपये 11 करोड़ से ज्यादा की राशि हजम अधिकांश कार्य कागजों पर ठेकेदारों साथ मिलकर फर्जी बिलों और व्हाउचरं से धन हजम करने के मामले मे अधिकांश इंजिनियर भ्रष्टाचार के विशेषज्ञ है यही हाल सं. क्र. 2 के बागोले धार के रावत खंडवा खरगोन बड़वानी अलीजापुर झाबुआ का भी है। उज्जैन में भी क अ टुटेजा जो कि अपने भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यो के चलते काफी लदनाम हो चुका था स्थानांतरित कर दिया गया है। इसने भी अपने कार्याकाल में लगभग रुपये 35 से 40 करोड़ की इसी प्रकार से हेराफेरी की थी। ये हरामखोर सारे दिन कार्यालय से गोल रहता था। दो नं, के कामो झूठे बिलो के पास करने में किसी को भ्रष्टाचार की हवा न लगे शाम को 5 बजे कार्यालय में बैठकर रात नौ बजे तककार्य किया जाता था। कोठी चौराहे से देवास मार्ग 3.5 किमी 6 लेन बनाई गई जो इसके कार्य का उत्कृष्ट नमूना है। भ्रष्टाचार का केवल दोनों तरफ सफाई करके न दोनो तरफ बोल्डर भर गए हैं। मात्र 6 से 8 इंच तक खुदाई करके सीधे ही डामर और गिट्टी भर दी गई है। बीच में सड़क से उसका समतलीकरण भी नही किया गया है। सन 2016 में सिहस्थ की तैयारी का हिस्सा था यह मार्ग सन 2004 के सिहस्थ में हुए अरबों रुपये के भ्रष्टाचार की कहानी की सारी फाइलों पर धूल जम चुकी है। सत्ताधीशो ने धन हजम कर लिया जनता भूल गई समय माया के पास प्रदेश के हर जिले की कहानी है मुख्य तकनीकि परीक्षक किसी भी निर्माण और मरम्मत कार्य की जांच कर ले घोटाले का अंबार मिलेगा ।

5 करोड़ बेरोजगार और 36 करोड़ मरेंगे भूखे

पेज 1 का शेष

अभी तो खुली दाल तो 100 ग्राम ही खरीदकर जो कि रु. 8 की होती है पकाकर खा लेता है। फिर जब पैकिंग में आयेगी तो रु. 125 प्रति कि. की दाल खरीदने के लिये 5 दिन की मजदूरी इकट्ठी करना पड़ेगी, पिर एक दिन बच्चों को और स्वयं दाल उबालकर खा लेगा पिर दिनभर मजदूरी कर आटा खरीदगे तो रोटी खा लेगा, सब्जी, नमक, मिर्ची, तेल का तो फिर नाम सुनकर ही या देखकर ही खुश हो लेगा।

कांग्रेसी गिद्धों की आधी शताब्दी के शासन की परंपरा रही है, कि वो उसकी वोट मशीन रूपी मानव को राशन, पेट्रोल, दाल, आटा, चीनी, शक्कर, गुड़ तेल के लिये जीवन भर लाइनों में खड़ा देखना चाहती है। जब पूरे देश के सब छोटे दुकानदार बंद हो जायेंगे तो बहुराष्ट्रीय कं. के रिलायंस फ्रेश के भंडारों में लाइन में खड़े होंगे। उसमें जो पैसे व पावर वाला होगा या जो खूबसूरत सुंदरी होगी उस पर एहसान दिखाकर उसे पहले सामान, सब्जी, किराना देंगे बाकी सबको ब्लैक में दुगुने-तिगुने भावों पर बेचेंगे। किसानों को अपना माल बेचने के लिये मंडी में जाने की छूट नहीं होगी फिर ये बहुराष्ट्रीय कं. वाले ही अपनी मनमानी कीमतों में सीधे ही खेतों से माल खरीदकर अपनी मनमानी कीमतों पर बेचने की आजादी होगी, क्योंकि ये सीधे ही महीने का कमीशन मंत्रियों-संत्रियों के खाते में जमा करवाकर जमा की खरीद या एसएमएस कर दिया करेंगे। किसान अपने ही खेत में पैदा की हुई सब्जी अनाज, दलहन, तिलहन घर नहीं ले जा सकेगा, न खा सकेगा, षड्यंत्र लंबा और गहरा है।

अब जबकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. लागू हो चुका है। अब छोटे दुकानदारों से लेकर मध्यमवर्गीय दुकानदारों तक धीरे-धीरे समझ में आ रही है कहानी! अब इकट्ठे होकर आंदोलन और हड़ताल पर जाने की तैयारी में लगे हैं। समय माया इस अधि. की वास्तविकताओं को पिछले 5 वर्षों से प्रकाशित कर रहा था, तब संपादक और प्रकाशक श्री अजमेरा को मूर्ख समझ रहे थे, लगातार छापने के फलस्वरूप सरकार भी 5 वर्षों से इंतजार कर रही थी मौके का, जब मिडिया और जनता का ध्यान किसी विशेष में उलझा हो तो इसे लागू कर दिया जाये।

पिछले वर्ष जब बाबा रामदेव और अन्ना की लोकपाल की नौटंकी चल रही थी जब केन्द्र सरकार के मंत्री कपिल सिब्बल, शरद पंवार, दिग्गी दानव उस पर उल्टे-सीधे वक्तव्य देकर मामले को उफान पर लाने में लगे थे, जून और जुलाई में बाबा रामदेव के साथ दिल्ली पुलिस की मारापीटी और पकड़-धकड़ का नाटक सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया जाना चल रहा और अन्ना ने घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त से आंदोलन होगा। इस बीच जून के अंत में सरकार ने धीरे से घोषणा कर दी कि उक्त अधि. 06 अगस्त 5, 11 से लागू होगा, उसके पहले 4 अगस्त को खाद्य अपमिश्रण और निवारण अधि. 1954 समाप्त हो जायेगा।

इसके पूर्व इस अधि. पर सन् 1996 से ही कार्य शुरू हो गया था, रिलायंस, आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर, मेक्डावेल, कोको कोला जैसी कंपनियों ने इस अधिनियम को बनवाने और पुराने खाद्य अपमिश्रण व निवारण अधि. 1954 को समाप्त करने के लिये षड्यंत्र करने शुरू कर दिये थे, पर भाजपा सरकार ने इसे अस्तित्व में नहीं आने दिया जबकि अधि. की रुपरेखा 2002 में ही तैयार हो चुकी थी, कांग्रेस की संप्रग के आते ही अंबानी बंधुओं ने पर्याप्त पैसा खर्च कर अधि. तैयार करवाने के साथ ही पूरे देश में 2004 के अंत तक 400 से अधिक रिलायंस फ्रेश के स्टोर खोल दिये थे, ताकि अधिनियम के बनते और लागू होते ही उसका बाजार पर एकाधिकार स्थापित हो जाये।

अधिनियम को इस तरह से बनवाया गया कि अधिकांश कार्य भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से ही संपन्न हो जाये। न्यायालयों में ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, इस अधिनियम में सारी सत्ता भ्रष्ट उपजिलाधिकारी, खाद्य निरीक्षक जो इस अधि. के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी होगा और मुख्य चिकित्साधिकारी ही सारे दंडों अधिनियम के उल्लंघन के मालमे ले देकर समाप्त कर देंगे। इस अधिनियम में स्तर की जो धारायें लगाई गई है। वो कोई भी छोटे से लेकर रु. 2-5 करोड़ तक की खाद्य ईकाई पूरे ही नहीं कर सकेगी, स्वाभाविक है। सब छोटी चाय, पोहे, कचोरी, पकोड़ी की दुकानों से लेकर बड़े-बड़े नमकीन व अन्य खाद्य सामग्री बनाने, पैक करने वाले तक वो सारे अधि. के खाद्य सुरक्षा के स्तर छू नहीं पायेंगे तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकरण बनायेगा और उप जिलाधीश/ उप दंडाधिकारी रु. 25000/- से लेकर रु. 5 लाख तक उस पर दंड ठोक देगा, हो गया साल छह महीने के लाभ की और परिवार चलाने की व्यवस्था, स्वाभाविक है धीरे-धीरे सब घुटने टेक कर कारोबार समेट लेंगे।

मप्र शासन 06 से चुप, सामान्य वर्ग कर्मियों को नहीं दे रहा हक

पेज 1 का शेष

सौ बिन्दु के रोस्टर अनुसार पदोन्नति कराई गयी एवँ इस विषयक शासन के प्रमुख सचिव तथा विभागाध्यक्ष स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डाला जाकर 1975 के नियमों के विरुद्ध अनुगामी वरिष्ठता दे देकर अनु जाति जनजाति कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नतियां की गई। उनके गिए पदोन्नति पद पर योग्यता के मापदंड शिथिल किए गए तथा उनसे वरिष्ठ अधिकारी कितने सालों से प्रतीक्षा में है। इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसके प्रदेश की शासकीय कर्मचारी सक्षमता में काफी कमी आती गई। सहायक य़ंत्री ने भी सीधे उच्चतम न्यायालय मे रिट दायर की। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी प्रकार की अन्य कई याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए एम नागराज विरुद्ध भारत सरकार के मामले में एक मुश्त निर्णय पारित कर निर्देशित किया कि समस्त पदोन्नतियां जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2002 (दलित एजेंडा) के दबाव प्रभाव के पालन में की गई है वे शून्य है तथा इसी कर्मचारी संगठनों द्वारा एवं व्यक्तिगत रूप से अवमानना के नोटिस प्राप्त होने के उपरांत मुख्य सचिव एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों सचेत हुए। जिसमें उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय का शीघ्र पालन करवाने के लिए कहा बताया जाता है कि इस संबंध मे विधि एवं निकायी कार्य विभाग भोपाल मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर तथा मप्र के महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर (श्री आर डी जैन) द्वारा भी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी अपनी राय प्रस्तुत कर दी है। सभी ने एकमत से राय देकर शासन से अनुरोध किया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अनुसरण में अत्याधिक रूप से पदोन्नत किए गए अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के रूप से पदोन्नत किए गए अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के परेप्रेक्ष्य में शून्य घोषित किए जाए तथा 2002 मे ही समस्त डी पी सी की कार्यवाहियों का पुर्नविलोपन वर्ष 1975 के नियमों के अनुसार किया जावे। एक्त आदेश का संज्ञान लेकर लोक सेवा आयोद द्वारा समस्त पदोन्नतियों पर रोक लगानी चाहिए थी तथा अनेक विभागों के अनेकों अधिकारियों द्वारा भी प्रदेश के ग्वालियर इंदौर तथा जबलपुर उच्च न्यायालयों में शीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही हेतु रिट याचिकाएँ दायर कर दी गयी है।

इसके संबंध मे मप्र लोक निर्माण आयोग ने महाधिवक्ता से जो स्पष्टीकरण मांगा था उसकी एक प्रति सूचना के अधिकार में प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही है जो कि महाधिवक्ता ने मप्र लोक सेवा आयोग को लिखी,

विषयः आरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भः आपके द्वारा प्रेषित पत्र क्र 17655/पेड/2011 जी एस इंदौर दिनांक 19 फरवरी 2012

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा मुझसे श्री लोकेश आर भटनागर अधिवक्ता के सूचना पत्र के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं पर अभिमत मांगा गया है।

(1). माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2006 जो याचिका क्रमांक 460/2003 मे पारित किया गया है के परिणामस्वरूप पदोन्नति करते समय अनारक्षित वर्ग के शासकीय सेवकों के साथ भेदभाव न करने का क्या अभिप्राय है?

(2). माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम.नागराज वि भारतीय गणराज्य का प्रकरण जो (2006)8 सु को के 2012 में प्रकाशित हुआ है के प्रकाश में क्या कार्यवाही अपेक्षित है?

2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय एम नागराज के प्रकरण मे् पारित किया गया है उसके अधीन शासकीय सेवा में जिन वर्गो का प्रतिनिधित्व पार्यप्त नहीं है। उन्हें आरक्षण का लाभ देते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना आवश्यक हैः

1 उनका पिछड़ापन।

2 उनका सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना।

3 आरक्षण का प्रावधान करते समय प्रशासकीय कार्यक्षमता की जांच।

3. एम. नागराज के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि शासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। किंतु .यदि वो ऐसा आरक्षण देते हैं तो इस संबंध मे आंकड़े मंगाकर देखा चाहिए कि शासकीय सेवा में उन वर्गो का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त। ऐसा करते समय प्रशासकीय कार्यक्षमता को देखा जाना भी आवश्यक है।

4. अतः एम नागराज के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि पदोन्नति करते समय शासन इन बातों का ध्यान रखे कि किसी विशिष्ट वर्ग (केडर) के लिए आरक्षण नियत करना क्यों आवश्यक है यह देखते समय सारा उस वर्ग के व्यक्तियों की विभिन्न पदों पर संख्या देखा जाना आवश्यक है किंतु किसी भी दशा में 50 प्रतिशत से अधिक सीमा में उसका आरक्षण उचित नहीं है।

5. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण तथा पूर्व के प्रकरणों पर विचार करते हुए सूरजभान मीना विरूद्ध राजस्थान राज्य का प्रकरण जो (2011) 1 सू को के 467 पर प्रकाशित है और जिसमें एम. नागराज के प्रकरण में प्रतिपादित संवैधानिक स्थिति को स्वीकार किया गया है। तथा इंदिरा साहनी वि. भारतीय गणराज्य के प्रकरण जो ए आई आर 1993 सू को के 477 में प्रावधान किया गया था के आधार पर निम्नलिखित विधि निरूपित की हैः

(1) आरक्षण के कोटे के विरूद्ध पदोन्नति के आधार पर नियुक्ति करने के लिए इंदिरा साहनी के प्रकरण से 5 वर्ष का अवधि तक सुरक्षा प्रदान की जाना थी।

(2) जिन व्यक्तियों को रोस्टर के आधार पर पदोन्नति दी गई है उन्हें शीघ्र पदोन्नति दी जा सकती है। किंतु किसी विशिष्ट वर्ग के ग्रेड में वरिष्ठता नही दी जाएगी। और जब भी कोई ऐसे वर्ग का नवीन कर्मचारी सेवा में आता है तो उसकी पुनः वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो सामान्य वर्गो के कर्मचारियों से कनिष्ठ है किंतु संविधान के अनुच्छेद 335 के आधीन पदोन्नत हुए हैं उनके संबंध मे विचार करते समय शासन को यह देखना चाहिए कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त तथा ऐसी पदोन्नति से सामान्य कार्यक्षमता पक विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ता।

6. अतः राज्य शासन को इन पदों पर आरक्षण करते समय इस वर्ग के पदधारकों की संख्या देखा जाना चाहिए। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 335 में अनिवार्य है।

7. संविधान ने 85वां संशोधन पारित किया गया था तथा उसी के अनुसार सूरजभान मीना के प्रकरण मे उपरोक्त विधि निरूपित की गई थी।

8. उपरोक्तानुसार आरक्षण वर्ग के पदों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए और यदि उन्हें सामान्य वर्ग के कर्मचारियों से पूर्व में पदोन्नति प्रदान की है तो उसकी आरक्षित वर्ग मे गणना की जाना चाहिए और जब भी पद रिक्त होता है चाहे वह सेवानिवृत्त के कारण हो अथवा सामान्य वर्ग के किसी सदस्य के पदोन्नत के कारण हो उसमें सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को ही पदोन्नति दी जाना चाहिए।

9. उक्त विधि के प्रकाश मे मेरा अभिमत निम्न प्रकार है

(1) आरक्षित वर्ग के सदस्य को पदोन्नति देने के पश्चात वह सामान्य वर्ग के सदस्य के उपर वरिष्ठता प्राप्त नहीं करेगा तथा रोस्टर बिंदु पर पदों के संबंध में विचार करते समय ऐसा व्यक्ति सामान्य के सदस्य पर वरिष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

(2) जब आरक्षित वर्ग के सदस्यों तथा सामान्य वर्ग के सदस्यों से पद भरे गए हैं तो ऐसी दशा में पदोन्नति के समय उसी वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा पदोन्नति होना चाहिए जिस वर्ग मे पद रिक्त हुए हैं।

(3) जब आरक्षित श्रेणी का सदस्य अनारिक्षत श्रेणी से पदोन्नत होता है तो उसकी नियुक्ति आरक्षित वर्ग के सदस्यों के कोटे मे नहीं दिया जाना चाहिए तथा उसकी पदोन्नति करते समय सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए अर्थात यदि सामान्य वर्ग के पद रिक्त होते है तो उसमें पदोन्नति के लिए सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ कर्मचरियों को विचार में लेना चाहिए और जब आरक्षित वर्ग का पद रिक्त होता है तो आरक्षित श्रेणी के सदस्यों का विचार किया जाना चहिए।

(4) आरक्षित पदों पर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि कोई पर रिक्त होता है तो इस बात को ध्यान में रखकर पदोन्नति पर विचार करना चाहिए।

उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रख तत्काल म.प्र. शासन को जो पदोन्नतियां सन 2002 के दलित एजेन्डे में दी गई थी निरस्त कर 1975 से प्रदेश में् सन 2002 के दलित एजेन्डे मे दी गई थी निरस्त कर 1975 से प्रदेश में लागू आरक्षण नियमों का पालन कर पुन सामान्य वर्ग के 70 प्रतीशत कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नत करना चहिए इस फैसले का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि सदियों से लटक रह सामान्य वर्ग के अधि/कर्मचारीको किया जाए ताकी सामान्य वर्ग मे जन्म लेने की और गोग्य होने के बाद भी पदोन्नति न होने की घोर मानसिकता पीड़ा से मुक्ति दी जाए

मप्र शासन के 95 से ज्यादा विभागों 40 से ज्यादा उपक्रमो आयोगों मंडलों संस्थानों प्राधिकरणों नगर निगमों पालिकाओं में कार्यरत सामान्य वर्ग के लाखों अधिकारियोंन कर्मचारियों जो वर्षो से स्थां. पदोन्नतियों का इंतजार कर रहे हैं उन्हें तत्काल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां जी जाये म प्र शासन के अधिकारी वर्ग के चयन नियुक्ति पर पदोन्नतियां दी जाए मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी वर्ग के चयन नियुक्ति पर पदोन्नति के लिए जिम्मेदार मप्र लोक सेवा आयोग मे बैठे धूर्तो ने इस मामले को सन 2006 से अभी तक दबाकर रखा था वो उसमें भी पदोन्नति के लिए भी मोटी कमाई के इंतजार में है। इसलिए वो न केवल पूरे मामले पर कुडली मारकर बैठे है वरन कभी सामान्य प्रशासन को पत्र लिखा है तो कभी उच्चन्यायालय के महाधिवक्ता को स्पष्टीकरण मिल जाने के बाद भी अभी कभी उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता को स्पष्टीकरण मिल जाने के बाद भी ताक न केवल अधिकारियों की पदोन्नति की कार्यवाही की गई उन्हें की 2002 के दलित व एजेन्डे के आधार पर सन 2006 से लगातार सामान्य वर्ग की उपेक्षाकार आरक्षित वर्ग के लोगों की हर विभाग जिसमें लोक निर्माण लोक स्वा यांत्रिकीय जलसंसाधन वाणिज्यकर पुलिस न्यायालयों में महिला बाल विकास कृषि उद्यानिकी सामान्य प्रशासन नगर नियमों पालिकाओं प्राधिकरणों ग्रामीणों यांत्रिकीय ग्रामीण विकास जिला पंचायतों आदिमजाति परिवहन आबकारी श्रम स्वास्थ्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन बीमा सेवाएं विद्युत मंडल रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मंडी सहकारी संस्थाओं औषधियों स्वस्थ्य एवं सुरक्षा लोक शिक्षण उच्च शिक्षा जनसंपर्क तन विभाग नियंत्रण नाप तौल संस्कृति पुरातल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मत्स्य उद्योग पशचिकित्सा तकनीकि आदि में पदोन्नतियां देकर सामान्य वर्ग को पीछे धकेला जाकर आर्थिक सामाजिक पीड़ा दी जा रही है। इसके विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने एस एल पी क्र 6385 दिनांक 7-12-10 मे सूरज मान मीना विरुद्ध राजस्थान सरकार मे स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि सामान्य वर्ग को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां दी जाए इस निर्णय के साथ ही एस एल मीणा क्र 77/6,7717,7826,7838 सन 2010 में भी नागराज वि भारत सरकार के निर्णय को यथावत रखते हुए सामान्य वर्ग की पदोन्नतियों की अनुशंसा की गई है।

मप्र सरकार में बैठे सचिवों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने मे भी कोई शर्म महसूस नही हो रहा है। और वे कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नतियों को जानबूझकर टाल कर कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नतियों की जानबूझकर टालकर सर्वोच्च न्यायालय का ही अपमान कर रहे हैं।

प्रशासन में अपराधियों का अंबार

भोपाल। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ईमानदारी के ढोंग उजागर हो गया। सवाल नौकरशाहों की भ्रष्टाचार से जुड़ी करतूतों का था। जिसके जवाब में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि प्रदेश के आधा सैकड़ा नौकरशाह जेल के सींखचों में पहुंचने की जगह मलाईदार पदों पर बैठकर दीमक की तरह सरकारी पैसे को चट करने में लगे हैं। इन अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले एक से छह साल से भी ज्यादा समय से जांच एजेंसियों के पास लंबित है, लेकिन प्रदेश की भोली-भाली जनता को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों के जादू में मुग्ध रखने वाले मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वे अपने अधिकारियों को इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दें। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कानून कितना कारगर साबित होगा और प्रदेश की जनता-जनार्दन को भ्रष्टाचार से जुटाई गई संपत्ति पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुले देखने का जो सपना दिखाया गया है, वह कभी पूरा हो सकेगा। प्रदेश की दो बड़ी जांच एजेंसियों ईओडब्यू और लोकायुक्त में मामले दर्ज हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता करने के आरोप हैं। इनमें से 8 आईएएस के मामले विवेचना में लंबित हैं और 8 के खिलाफ एजेंसियों ने चालान प्रस्तुत कर दिया है। 2 मामलों में एजेंसियों को सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मिलने का इंतजार है, जबकि एक अधिकारी के मामले में जारी है। एजेंसियां दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जल्द चालान पेश करेंगी। विधानसभा में कांग्रेस विधायक कल्पना परुलेकर के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकायुक्त पीपी नावलेकर के फोटो की कूटरचना के आरोप में जेल में बंद है। जिन अधिकारियों ने आर्थिक गड़बडियां और भ्रष्टाचार करके सरकार को चपत लगाई है, उनमें अधिकांश के मामले में पिछले पांच-छह सालों से विवेचना में पड़े है। यानी इनकी जांच का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इनमें से रामकिंकर गुप्ता, एमएस भिलाला और यूके सामल जैसे कई अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की छाया में ये अधिकारी सालों से दूध के धुले बने हुए हैं। इनके खिलाफ मामले दर्ज होने के बावजूद आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

इनके मामले विवेचना में लंबित

राजेश राजौरा, एमएम उपाध्याय, एके सिंह, अरविंद जोशी, टीनू जोशी, एमके सिंह, एसएस अली, एमके अग्रवाल, यूके सामल (रिटायर), रामकिंकर गुप्ता (रिटायर), एवी सिंह (रिटायर), अंजू सिंह बघेल, एलके द्विवेदी, आरपी मंडल।

इनके मामले जांच में लंबित

राजकुमार माथुर, पी. नरहरि

इनके चालान पेश

पी. राघवन, एमएम मूर्ति, शशि कर्णावत, वीएन पयासी

अभियोजन की स्वीकृति लंबित

एसबी सिंह

सैकड़ों अफसरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। दागी अफसर बेखौफ होकर टैक्स के रूप में जमा की गई जनता की गाढ़ी कमाई को 'जिमऽ रहे हैं। इस पर तुर्रा यह है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के सिलसिले में व्यवस्था दी है, लेकिन उसका असर फिलहाल मध्यप्रदेश पर होता नजर नहीं आता। सालों से जांच चल रही है।

इनके खिलाफ दर्ज हैं मामले

एमके वार्ष्णेय, निकुंज श्रीवास्तव, बीएम शर्मा, मनीष श्रीवास्तव, अरूण पांडेय, एमएस भिलाला, शशि कर्णावत, सभाजीत यादव, राजेश राजौरा, अंजू सिंह बघेल, राजकुमार पाठक, केपी राही, निशांत बरबड़े, सुखवीर सिंह, सलीना सिंह, अजातशत्रु श्रीवास्तव, आकाश त्रिपाठी, अरविंद जोशी, एमके सिंह, नवनीत कोठारी, अरुण कुमार भट्ट, पंकज राग, बीएन सिंह, विवेक अग्रवाल, सीबी सिंह, राघव चंद्रा, राघवेन्द्र सिंह, रश्मि, एमएम उपाध्याय, मनोहर अगनानी, मनोज झालानी, राकेश राजौरिया, आरएस जुलानिया, अवनि वैश्य, एसके मिश्रा और जीपी सिंहल (रिटायर)।

पाठकों से निवेदन

अपने लेख, सुझाव, समस्याएं जो समय माया में प्रकाशित करना चाहते हो, या समाचार-पत्र डाक से प्राप्त करना चाहते हो, पत्र प्रेषित कर सकते हैं या ईमेल

पर भेज सकते हैं। जो दानदाता पाठक आर्थिक सहयोग करना चाहते हो, वो सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता Linkadage samayaya खाता क्र. 53013515333 शाखा फड़नीस कालोनी इंदौर में जमा कर रसीद की फोटोकॉपी डाक से या ईमेल से प्रेषित कर सकते हैं।

पता :- समयमाया, 299 अंबेडकरनगर इंदौर।

साप्ताहिक समय माया

समलैंगिकों से पूछो कि उनके मां-बाप भी समलैंगिक होते तो

समलैंगिकता न प्राकृतिक, न अप्राकृतिक, न नैतिक, न अनैतिक

समलैंगिक वर्तमान में पूरे भारत के साथ ही पूरे विश्व में भारी चर्चित और बहस का मुद्दा बनी हुई है, न केवल सरकारें वरन न्यायायालय तक इसकी न केवल बहस के लपेटे में है, वरन साथ ही इन न्यायालयों पर बाध्यता के रूप में सामने हैं कि इसे सामाजिक रूप से स्वीकार किया जायें वरन कानूनी रूप से भी इसे मान्य किया जायें। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आखिर पूरे विश्व में समलैंगिकता के पक्ष में इन संबंधों को सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से मान्य करने के पक्ष में क्यों है? एक-दो प्रतिशत लोगों की आवाजें क्यों उठीं? कामेच्छा हर प्राणी की प्राकृतिक आवश्यकता है, शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर हर जीव की दो प्रजातियों में नर और नारी के रूप में विभक्त कर प्रकृति ने अपने क्रम को चलाने, उनकी उपयोगिता बाये रखने, जन्म-जनन और मृत्यु की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिये बनाया।

प्रकृति के आंगन में, प्रकृति ने अपने क्रम को निरंतर तरोताजा बनाये रखने के लिये प्राणियों को नर के बीज रूपी वीर्य को नारी की योनि में प्रक्षेपित कर नये नर-नारी को जन्म देकर पुरानी पीढ़ी जो समय के साथ वृद्ध, अयोग्य हो जाये उसे मृत्यु देकर विदा कर दिया जाये इस प्रकार हर जीव की पीढ़ी कार्यशील बनी रहे। अर्थात नर-नारी का मिलन भोग के माध्यम से यथार्थ में जन्म का उद्देश्य ही है।

शास्त्रों के अनुसार हर नर-नारी प्राणी को जन्म का एकमात्र उद्देश्य और उपयोगिता हेतु कि अपनी वयस्कता पर व प्राकृतिक आवश्यकता और प्रकृति के क्रम को सतत बनाये रखने के लिये नर-नारी संभोग कर नई पीढ़ी को जन्म दें। इससे ज्यादा किसी भी प्राणी का इस धरा के आंगन में कोई उपयोग नहीं। वर्तमान में मनुष्यों में भौतिक आवश्यकता ने मनुष्यों की आधारभूत सोच में काफी बदलाव किया। मानव सभ्यता के शैशव काल से ही काला-गोरा, जातिवाद, धनाढ्य और निर्धन, ऊंच-नीच का चलन वर्तमान तक विद्यालय ही नहीं वरन आवश्यकता से ज्यादा गहरा रहा है। जबकि प्रकृति ने समानता के साथ ही कुछ तल जैसे हवा, पानी, ऋतुयें, दिन-रात एक जैसे ही उपलब्ध करवाये हैं। जिसे सभी प्राणी समान रूप से भोगते भी आ रहे हैं। ताकि जीवनचक्र के साथ प्रकृति का क्रम

समलैंगिकता अल्पकालीन, भविष्यहीन

भी चलता रहे,

पृथ्वी के आंगन में, प्रकृति ने मनुष्यों को मस्तिष्क, सोच और उसे संपन्न करने योग्य बनाया है। मनुष्यों की प्रकृति है, कि वे एक ही जैसे कार्यों को दीर्घावधि तक दोहराते हुए उकताने लगते हैं। फिर इसी उकताहट से छुटकारा पाने वह कार्य शैली को विपरीत दिशा में ले जाकर उसको संपन्न करता है। इस प्रकार न केवल उकताहट से मुक्ति का आनंद लेता है वरन विपरीत दिशा में जाकर उसकी अच्छाई और बुराइयों का अनुभव करता है। यही तथ्य समलैंगिक संबंधों को न केवल विकसित करता है वरन बढ़ावा भी देता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य स्त्री-स्त्रियों में और पुरुष-पुरुष के समलैंगिक संबंधों जो कि विवाहित हैं। विपरीत संबंधों को भोग चुके हैं। जिसे आप्राकृतिक तो नहीं कहा जा सकता: क्योंकि वैवाहिक स्त्री पुरूषों में सामाजिक जिक्र एक दूसरे के सामने एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान रखकर न स्वीकारे परन्तु आंतरिक रुप से भारत मे भी 20% पुरुष और 10% स्त्रीयां इस शौक को रखते हैं। इसके विपरीत 2% पुरुष और 1% स्त्रीयां इसको निर्मात प्रचलन में लाते हैं।

समलैंगिकता के संबंध मे भारत के आयुर्वेद में भी लिखा गया है। कि कुछ पुरुषों की ये आवश्कता कि वे पुरुषों से गुदा मैथुन करवाकर ही यौनाचार में स्त्री के साथ सक्षम हो पाते हैं। सिद्ध करता है कि समलैंगिकता आप्रकृतिक नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर एक सत्य यह भी है कि पुरुष परुषों के झुड मे दोस्ती मित्रों के साथ ज्यादा सहजता से और महिलाये महिलाओं के झुंड मे या सहजता के साथ रहते हैं। यह केवल मानवो में ही नही अधिकांश स्तन पायी प्राणियों में सत्य है जिसे आप्रकृतिक नहीं कहा जा सकता पशुओं में भी सहवास काल नर मादा का मिलन नहीं हो पाता तो नर नर पर और मादा मादा से सहवास का प्रयास करते हैं। यह शताब्दियों से हो रहा है। अब वर्तमान मे जो मानवों मे समलैंगिकता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सड़कों तक जो शोरगुल मचा हुआ है। जिसका तोड़ सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है। कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। पर वह भी दोनों पक्षों की सहमति पर ही निर्भर करता है। विवशता दबाव बलात्कार की श्रेणी में ही रहना चाहिये भारत सरकार को चाहिए कि इस बहस में न पड़े कि समलैंगिकता को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बना दिया ; अगर समाज को स्वीकार है तो तत्काल मे इसे समाजों पर ही छोड़ दिया जाये कि रे चाहे तो स्वीकार करे न चारे तो अस्वीकार करें।

समलैंगिकता शताब्दियों से चला आ रहा है। यह सही है। पर यदि समाजिक रूप से स्वीकार्य होता और ये सार्थक संलंध होते तो स्थायी होता परन्तु समलैंगिकता के सामाजिक रूप से स्वीकार करने और वैधानिकता का हल्ला मचाने वालों को इतना हल्ला मचाने और प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं होती दूसरी और जो संगठन इस के पक्ष में हो हल्ला कर रहे हैं याचिकायें दायर कर रहे हैं उनसे मात्र यह प्रश्न कर लिया जाए कि जिस समलैंगिक संबंधो के लिए इतने तर्क कुतर्क दे रहे हैं। अगर उनके मां बाप भी समलैंगिक होते तो क्या वो इनता हल्ला मचाने के लिए धरती पर होते। निःसंदेह उनके माता पिता यदि समलैंगिक होते तो ये धरती पर ही नहीं जन्में होते नर नारी के रुप मे दूसरी ओर किसे क्य पसंद है किसके साथ शारीरिक संबंध बनाना रखना है व्यक्तिगत है। अनावश्यक रूप से न्यायालयों और शासन को विवश कर इसे समाज पर थोपना इसे समाज के लिए भविष्य के लिए कहीं से भी उचित तो नही कहा जा सकता है। क्योंकि समलैंगिक संबंध भविष्य नहीं हो सकते हैं। समाज का अंत अवश्य है। जो समलैंगिता समाज को अंत की ओर ले जाती है। वो सामाजिक कैसे माने जा सकते हैं।

शादी की प्रथा हर धर्म और आदिकाल से वर्तमान तक लेकर आई है। सामाजिक रूप से सहज ही पूरे विश्व में हर धर्म और समाज मे स्वीकृत है क्योंकि उसमें स्त्री पुरुष के मिलने से भविष्य का निर्माण होता है। जो धर्मो और समाजों को न केवल वर्तमान मे स्थायत्वि देती है। इसी के दम पर सारे धर्म और समाज लाखों वर्ष से वर्तमान तक आये हैं। वर्तमान से भविष्य में मानव के अंत होने तक ले जायेंगे।

वर्तमान मे समलैंगिकात के पक्ष में मुश्किल 1% युवा स्त्री व पुरूष ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके कारणों की तह पर जाने से आभास होता है कि आखिर 21वीं शताब्दी के प्रारंभ मे ये आवाज इन संबंधो को लेकर क्यों मुखर हो रही है। कि पीछे का राज यह है कि युवक युवतियों के युवा होते ही पूर्व में विवाह हो जाया करते थे। यहां तक कि भारत मे बाल विवाह का प्रचलन था जो ज्यादा सार्थक और सफल था । क्योंकि शादी भले ही छोटी उम्र में हो जाती थी परन्तु गोना तो 18वर्ष की उम्र के आसपास ही हर समाज मे किया जाता था।जिससे किशोववस्था मे ही लड़के लड़कियों मे आंतरिक सुरक्षा की भावना को बल मिलता था जैसे कि युवाओं को अपनी मंजिल के रूप में पत्नी और यौन संबंधो की निश्चितता रहती थी। उनका जीवन साथी है। उनकी शादी हो चुकी है। इसलिये समलैंगिक तन-मन के संबंधो की आंतरिक सुरक्षा नहीं होती जो साथी स्त्री पुरूष साथ में रहते हैं। समलैंगिक संबंध धीरे धीरे मानस के यथार्थ रुप लेने लगते हैं। फिर जो चस्का लग गया तो लग गया फिर उसकी वकालत की जाने लगी (शेष पेज 2 पर)

प्रधानमंत्री कार्यालय से पंचायतों तक फैला भूखनन-भूमाफियाओं का जाल

भा.पु. सेवक की हत्या में शासकीय सेवकों की भूमिका भी संदिग्ध

मु.मं., मंत्री, प्र.स., सचिव, जिलाधीश, खनन निरीक्षक तक सबको बांटते हैं खनन माफिया

भारत में भू और खनन माफियाओं का जाल, उन्हें संरक्षण देकर पालने और वसूली करने में राष्ट्र के प्रधानमंत्री से लेकर अंतिम स्तर पर बैठे सरपंच और सचिवों तक की भूमिकायें हैं, यह हाल ही में ताजा केग की रिपोर्ट में कोयला खदानों में 2004 से 2009 तक हुये बिना नीलामी के कोयला निकालने के ठेकों में 156 खदानों में रु. 10.76 लाख करोड़ की शासन को हुई हानि के आंकलन से ज्ञात होता है। 2004-09 तक कोयला मंत्रालय भारत के निहायत ढीले और कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन के पास ही था, और उसके मंत्री थे शिबू सोरेन जो अपने भ्रष्टाचार और हत्याओं के लिये कुख्यात रहा हैं। खनन घोटाला और अवैध खनिज, मिट्टी-गिट्टी, रेत से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड में कीमती अयस्कों और हीरे और कीमती रत्नों को निकालने का ठेका डिवियर्स तक को छत्तीसगढ़, म.प्र. से अलग होने से पूर्व ही दिग्गी दानव ने अरबों रु. लेकर सौंप दिये थे अर्थात पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर असम, नागालैंड, मिजोरम तक सभी राज्यों में देशी-विदेशियों के माध्यम से किये जा रहे हैं। अवैध खनन के मामले में पूरे राष्ट्र का कोई भी राज्य उसका कोई भी जिला अछूता नहीं है। फिर जिलों के जिलाधीश, खनिज अधिकारी, निरीक्षकों से लेकर हर जिले की पंचायतों और उसके सचिवों तक वे सब शामिल है और अवैध खनन माफियाओं, गुंडों से लेकर राज नेताओं और सड़क छाप नेताओं तक जो इस खनिज दोहन कर्म से लेकर गिट्टी-मिट्टी तक निकालने में जुटे हैं। ये उन सब शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को महीना बांटकर अपनी तरह से हांकते हैं। इसमें क्षेत्रीय शास. अधिकारियों

जिसमें जिलाधीश, खनिज अधिकारी, निरीक्षक से लेकर धन विभागीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों तक पहुंचता है। जो अरबों करोड़ तक प्रतिमाह तक हो सकता है। अकेले म.प्र. में ही ये रकम रु. 10,000 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। यहां अवैध उत्खनन में हीरे जो कि पन्ना, छतरपुर जिले में निकलते हैं और उनका बेल्ट सतना-रीवा तक फैला है। जो खेतों तक में निकल आते हैं। ये हीरे के टुकड़े करोड़ों रु. के हर माह सूरत, जयपुर और बंबई के व्यापारियों तक पहुंचाते हैं से लेकर बालाघाट में अम्रक की विश्व प्रसिद्ध खदानें हैं। बालाघाट का मलानखंड, तांबे के अयस्कों से भरा हुआ है। फिर म.प्र. में कोयला भी प्रचुरता से मिलता है, जिसकी खदानें छिंदवाड़ा जिले के चांदामेटा, परासिया में है अरबों रु. प्रतिमाह के कोयले की चोरी कई वर्षों से जारी है। जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल पाया गया है, तो जिलाधीश स्तर पर क्या चल रहा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है।

पिछले अंकों में वन भूमि में चल रहे अवैध उत्खनन के बारे में छापा गया था, जिसमें हर संभागीय वनाधिकारी शामिल है करोड़ों रु. अवैध उत्खनन से कमा रहे हैं।

हर जिले में निर्माण कर्म में लगे जो सरकारी हो या निजी भूमाफियाओं, कालोनाइजरों द्वारा सड़क, भवन निर्माण में लगने वाली गिट्टी और पत्थर का उत्खनन अरबों रु. प्रतिमाह का बेरोकटोक जारी है। चाहे फिर वो पहाड़ हो, भूमिगत हो, नजूल या सरकारी भूमि हो निजी या वन विभाग की सब जगह ठेकेदारों और हजारों ट्रक गिट्टी पत्थर बेचा जा रहा है, जिसकी 1% रायल्टी भी सरकार को ढंग से नहीं मिलती है। यही हाल हर जिले में बहने वाली नदियों में से रेत निकालने का भी है। जितने की रायल्टी जमा की जाती है उससे 10 से लेकर हजार गुना तक रेत नदियों की तलछटी से निकाली जाती है। जिसका हाल ही में बजट सत्र में म.प्र. की विधानसभा में भी स्वयं रेत खनन माफिया पूर्व का भाजपाई मंत्री और हत्याकांड में शामिल कमल पटेल ने ही सत्तापक्ष में होने के बाद नेमावर के पास चल रहे रेत खनन के मामले में प्रश्न उठाया गया था। जहां पारंपरिक तरीकों से रेत निकालने की अनुमति दी गई थी वहां बीच नर्मदा में 6 मशीनें लगाकर लगभग 50 से 100 गुना ज्यादा रेत निकाली जा रही है। स्वाभाविक है वहां राजस्व निरीक्षक, खनन निरीक्षक, जिलाधीश लाखों रु. प्रतिमाह हजम कर रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में करोड़ों रु. की रेत प्रतिदिन निकाली जाकर नेमावर से इंदौर-भोपाल तक बेची जा रही है। (शेष पेज 3 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803